राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 5] चौदहवीं विधान सभा के पांचवे सत्र का दूसरा दिवस [संख्या : 2

गुरुवार,

17 सितम्बर, 2015

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार। प्रश्नकाल। श्रीमती गोलमा।

प्रदेश में संचालित गौशालाओं को अनुदान

1. **श्रीमती गोलमा** (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) एवं डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कितनी गौशालाएं कहां-कहां संचालित हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा गत पांच वर्षों में उक्त गौशालाओं को कुल कितना अनुदान दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि समुचित देखरेख एवं चिकित्सा के अभाव में उक्त गोशालाओं में गायें मर रही हैं? यदि हां, तो इस हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

डेयरी मंत्री (श्री प्रभू लाल सैनी): (1) राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 1535 गोशालाएं पंजीकृत हैं। जिलेवार संख्या का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) गत पांच वर्षों में प्रदेश की गौशालाओं को रुपये 426.34 करोड़ का अनुदान वितरित किया गया। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय,.... (व्यवधान) मैं निवेदन करना चाहूंगा, यदि सरकार सदन चलाना चाहती है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल बड़ा महत्वपूर्ण है। इस किताब में लिखा है, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण है। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं कुछ कहना चाह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सरकार जवाब देना चाहती है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): बिना कानून के, बिना नियमों के खड़े हो जाते हैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): (व्यवधान) मुख्यमंत्री के द्वारा लिखा जाता है, उसकी मदद की जाती है...(व्यवधान) भगोड़े की मदद की जाती है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल चलने दीजिए। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, प्रश्नकाल को चलने दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सरकार जवाब देना चाहती है। गोशाला से सम्बन्धित सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, जवाब देना चाहते हैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ये इस भगोड़े की मदद करना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, यदि आप सदन चलाना चाहते हो तो मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिलाओ। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपके कहने से चलेगा? बपौती नहीं है सदन आपकी। किताब से चलेगा, नियमों से चलेगा सदन। नियमों में आइये। आप नियमों में आओ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): राजस्थान की करोड़ों जनता देख रही है... (व्यवधान) नेता प्रतिपक्ष को यदि कोई विषय उठाना हो तो नियमों से उठाएं। प्रश्नकाल में हंगामा करना...(व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): पूरी दुनिया के अन्दर प्रदेश के मान-सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया है, हम निवेदन करना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तत्काल इस्तीफा दें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ये नहीं चाहते, सदन चले। अध्यक्ष महोदय, कोई मुद्दा नहीं है...(व्यवधान) ये बेमुद्दे को मुद्दा बना रहे हैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): पहले मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल चलने दीजिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, ये केवल हंगामा करते हैं, इनको कहने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रश्नकाल इतना गम्भीर विषय होता है, उस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): राजस्थान का मान-सम्मान पूरी दुनिया के अन्दर गिरा है। मान-सम्मान को ठेस पहुंची है। हम निवेदन करना चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय, पहले इस्तीफा दो, उसके बाद में चर्चा कराओ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपके पास कुछ कहने को है तो नियम में आओ न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सदन नियमों से चलेगा, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): इनके पास कहने को कुछ नहीं है। आप सब बाहर निकालने के लायक हो। जनता ने इनको नकार दिया, इनके पास कहने को कुछ भी नहीं है। ये सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। सदन का बहुमूल्य समय इनके द्वारा बर्बाद किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): केवल अखबारों की सुर्खियों में आने के लिए हंगामा करते हो। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं निवेदन करना चाहता हूं, सदन की नेता इस्तीफा दें। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): इनको बाहर निकाला जाए।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): किसी भी विषय पर चर्चा करना नहीं चाहता विपक्ष।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): पहले इस्तीफा लो और सदन चलाओ। (व्यवधान)

श्री मान सिंह (गंगापुर): विधान सभा में बगैर नियम बात करना उचित नहीं है। क्वेश्चन आवर में सिर्फ क्वेश्चंस की बात करनी चाहिए। जो जनहित से जुड़े हुए प्रश्न हैं...(व्यवधान) प्रश्नकाल में सिर्फ जनता से जुड़े हुए प्रश्नों पर ही चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष का इस तरह से रवैया ठीक नहीं है।

(कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): +++

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): हम निवेदन करना चाहे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, पहले इस्तीफा लो।

श्री मान सिंह (गंगापुर): कांग्रेस पार्टी के लोगों को अपने गिरहबान में झांककर देखना चाहिए। दूसरे कई विभिन्न अपराधों में आपके मंत्रीगण जेल में बंद हैं। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): +++

श्री मान सिंह (गंगापुर): प्रश्नकाल में केवल प्रश्नों के बारे में ही चर्चा होनी चाहिए। जनता से जुड़े प्रश्न हैं, प्रश्नकाल में उन प्रश्नों पर चर्चा की जाए।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। पूरक प्रश्न। (व्यवधान) किरोड़ीलाल जी, पूरक प्रश्न कीजिए। पूरक प्रश्न कीजिए। जवाब तो आ गया, पूरक प्रश्न कीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): सदन का अमूल्य समय बर्बाद किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में गोशालाओं को अनुदान आपदा प्रबंधन के तहत राजस्थान की सभी गोशालाओं को दिया जा रहा है जो पहले किसी भी सरकार के द्वारा...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने, जबसे माननीय मुख्य मंत्रीजी आयी हैं, राजस्थान में 146.73 करोड़ रुपये का अनुदान राजस्थान की गोशालाओं को दिया गया है। (व्यवधान) अनुदान की बात करें, कांग्रेस के शासन में 105 करोड़ का अनुदान दिया गया है। राजस्थान की गोशालाओं के उन्नयन के लिए सरकार कृतसंकल्प है। पहली बार गोशालाओं को राशि बढ़ाने का काम किया तो राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान में किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, छोटे पशुओं का 35 रुपये और बड़े पशुओं को 70 रुपये देने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है। (व्यवधान)

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह विधान सभा है, कोई चौराहा नहीं है। यह राजस्थान विधान सभा की गरिमा है? यह क्या है, अध्यक्ष महोदय? हम जवाब देना चाहते हैं। (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय का जवाब आ रहा है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): प्रश्नकाल में व्यवधान डाल रहे हैं।

श्री मान सिंह (गंगापुर): अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष का इस तरह से रवैया और प्रश्नकाल में अनावश्यक चर्चा करना बिलकुल ठीक नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: जिस तरह का राज किया और जिस तरह का भ्रष्टाचार कांग्रेस के राज में हुआ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह कोई आपके कहने से नहीं है। आप नियमों में आओ न। हिम्मत है तो नियमों में आओ। हिम्मत है तो तर्कों के आधार पर बहस करो। सरकार जवाब देना चाहती है, जवाब सुनो। यह कांग्रेस का विधायक दल हल्ला-ब्रिगेड बन गया है।

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस वाले जमीन खा गये, जमीन।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, 108 एम्बुलेंस में इतना भ्रष्टाचार और घोटाला करने वाले...(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पहली बार राजस्थान के इतिहास में जो घटना, कल अशोक सिंघवी को गिरफ्तार किया, यह शायद सरकार का सबसे पहला मर्दाना काम था। आज दिन तक इस प्रकार से ट्रैप करने के बाद सारे घटनाक्रम को खोला है। सरकार की मंशा के आधार यह भ्रष्टाचार पिछले दो महीने के प्रयत्न के बाद खुला है। इतनी बड़ी घटना हुई है। आज अशोक सिंघवी जैसे सेक्रेटरी को गिरफ्तार किया, यह सरकार की मर्दानगी है जो पहली बार हुआ है। वास्तव में भ्रष्ट है या नहीं है, यह तो राजस्थान की जनता जानती है।

श्री अध्यक्ष: बैठिए। गृह मंत्रीजी। गृह मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): जिस केस को, उसके लिए धन्यवाद देना तो दूर रहा, उसके लिए सरकार का धन्यवाद देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: गृह मंत्रीजी। गृह मंत्रीजी। गृह मंत्री जी। गृह मंत्री जी मेरी बिना इजाजत के बोल रहे हैं, रिकार्ड नहीं हो। गृह मंत्रीजी मेरी बिना अनुमति के बोल रहे हैं, रिकार्ड नहीं हो। रिकार्ड नहीं किया जाए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ×××

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, वो पंकज गहलोत अशोक गहलोत जी का क्या था? अशोक गहलोत का क्या था?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.10 बजे 13.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(13.00 बजे)

पुनः समवेत होने पर

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, राम-राम, साहब। राम-राम, साहब। क्या विचार है श्रीमानों का? (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह शोकाभिव्यक्ति है, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, शोकाभिव्यक्ति का अवसर है, कम से कम शोकाभिव्यक्ति के अवसर पर तो चुप रहना चाहिए। इसकी गरिमा तो रखो। (व्यवधान) यह शोकाभिव्यक्ति है, शोकाभिव्यक्ति के समय में तो इनको गरिमा रखनी चाहिए। (व्यवधान) यह अवसर तो हरेक की जिंदगी में आना है। कम से कम दिवंगत आत्माओं का सम्मान तो करो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): दिवंगत आत्माओं का सम्मान करना सीखें ये। (व्यवधान) सदन की गरिमा रही है। शोकाभिव्यक्ति के अवसर पर... (व्यवधान) यह केवल दो शोकाभिव्यक्ति हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह शोकाभिव्यक्ति के अवसर पर अशोभनीय कृत्य तो नहीं करें। (व्यवधान) अशोभनीय कृत्य तो नहीं करें, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: ये मेरी बिना अनुमति के बोल रहे हैं, एक शब्द भी अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): ×××

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): ×××

श्री अध्यक्ष: मेरी बिना इजाजत के बोल रहे हैं, अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) इधर का भी अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) न इधर का अंकित हो, न इधर का अंकित हो। मेरी बिना अनुमति के बोल रहे हैं। (व्यवधान) देखो, अंकित नहीं हो रहा है। मेरी बिना अनुमति के बोल रहे हैं। बैठो आप। ये भी अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

अनेक माननीय सदस्य: ×××

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। ये मेरी बिना अनुमति के बोल रहे हैं, अंकित नहीं हो।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। आप बैठिये। आप बैठिये। आप बैठिये। (व्यवधान) मेरी बिना इजाजत के कोई नहीं बोलेगा। कोई भी मेरी इजाजत के बिना नहीं बोलेगा। जो मेरी इजाजत के बिना बोल रहा है, इधर से या उधर से, वह अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

(कांग्रेस दल के सदस्यों का सदन के कूप में आगमन)

अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) आपका एक शब्द भी अंकित नहीं हो रहा है।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। यह भी अंकित नहीं हो। ये मेरी बिना इजाजत के बोल रहे हैं, यह अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) माननीय उप मुख्य

(श्री अध्यक्ष)

सचेतक महोदय। अंकित नहीं हो रहा है। यह भी अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। (व्यवधान) आप बैठिये। मेरी बिना इजाजत के बोल रहे हैं, आप बैठिये। आप बैठिये। मेरी बिना इजाजत के बोल रहे हैं। (व्यवधान)

(कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा सदन के कूप में नारे)

अंकित नहीं हो। (व्यवधान) अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दो बजे।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.07 बजे 14.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(14.00 बजे)

पुनः समवेत होने पर

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्षः राम-राम, साहब। मैं इधर से चालू कर रहा हूं अभी। क्योंकि आपको राम-राम करना पार नहीं पड़ रहा है इसलिए मैं इधर से चालू कर रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्षः वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

सदन पटल पर रखे गए पत्र

प्रतिवेदन

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन लिमिटेड का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अन्तर्गत राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन लिमिटेड का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्षः श्री प्रभुलाल सैनी। इनका अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो और इधर का अंकित हो।

राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 में दिनांक 24.4.2013 को किये गये संशोधन की अनुपालना में उक्त अधिनियम की धारा 54(14) के अन्तर्गत राजस्थान कोआपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री यूनुस खान। धीरे-धीरे, आराम से।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की पृथक् संपरीक्षा रिपोर्ट

श्री यूनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33(4) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की पृथक् संपरीक्षा रिपोर्ट सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: आराम से, धीरे-धीरे। श्री गजेन्द्र सिंह। आराम से, No hurry. No worry.

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2011-12

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 की धारा 34(3) (का) के अन्तर्गत राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जयपुर का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 सदन की मेज पर रखता हूं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में हंगामा)

श्री अध्यक्ष: No worry. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर।

राजस्थान टूरिज्म डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (राज्य मंत्री, पर्यटन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) के अन्तर्गत राजस्थान टूरिज्म डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री अध्यक्षः समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। प्रद्युम्न सिंह जी ने इसको एडजोर्न करने के लिए निवेदन किया है क्योंकि आज वो उनकी पार्टी के अनुशासन में होने से इधर कुछ बोलेंगे नहीं। कल रख देंगे। श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा। कल ले लेंगे।

समिति प्रतिवेदन

याचिका समिति 2015-16 (क्र. सं. 2)

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से याचिका समिति, 2015-16 के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित समिति को प्राप्त याचिकाओं के सम्बन्ध में द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्षः प्रद्युम्न सिंह जी से कल रखवा लेंगे, आज वो अनुशासन में हैं। उन्होंने मुझे रिक्वैस्ट किया है कि आज मैं नहीं रखूंगा, तो मैंने मान ली रिक्वैस्ट। आखिर माननी पड़ी न, इसलिए मान ली रिक्वैस्ट। श्री ज्ञानचन्द पारख। (अनुपस्थित)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में हंगामा)

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। श्री कालू लाल गुर्जर।

कार्य सलाहकार समिति (क्रम संख्या 19)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 19वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक 16 सितम्बर, 2015 को मध्याह्न पूर्व 11.55 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि गुरुवार, दिनांक 17 सितम्बर, 2015 से गुरुवार, दिनांक 24 सितम्बर, 2015 तक सदन में लिए जाने वाले कार्य का नियतन निम्न प्रकार किया जाए:-

(श्री कालूलाल गुर्जर)

गुरुवार, दिनांक 17 सितम्बर, 2015	1. भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2015, 2. महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2015 3. नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 एवं 4. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015 -पर विचार एवं पारण।
शुक्रवार, दिनांक 18 सितम्बर, 2015	1. राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2015 2. राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015 3. राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2015 4. राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 -पर विचार एवं पारण।
शनिवार, दिनांक 19 सितम्बर, 2015 रविवार, दिनांक 20 सितम्बर, 2015	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 21 सितम्बर, 2015	1. राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015 2. कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 एवं 3. राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 -पर विचार एवं पारण।

(श्री कालूलाल गुर्जर)

मंगलवार, दिनांक 22 सितम्बर, 2015	1. राज्य में सूखे एवं बिजली की स्थिति पर विचार 2. राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2015 3. राजस्थान भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2015 -पर विचार एवं पारण।
बुधवार, दिनांक 23 सितम्बर, 2015	बैठक नहीं होगी।
गुरुवार, दिनांक 24 सितम्बर, 2015	1. राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015 एवं 2. राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015 -पर विचार एवं पारण।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 19वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 19वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

श्री ज्ञानचन्द पारख। मैंने आपको पहले बोला था।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति 2015-16 (क्रम सं. 1)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, 2015-16 समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर विधयेक, 2015 । श्री कालीचरण सराफ। इनका एक भी शब्द अंकित नहीं होगा।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर विधयेक, 2015

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इतिहास में जितनी शर्मनाक हार इस कांग्रेस पार्टी और सामने हल्ला कर रहे लोगों की हुई, चाहे विधान सभा का चुनाव हो, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो, चाहे नगरपालिकाओं का चुनाव हो, चाहे पंचायती राज का चुनाव हो और अभी जो डेयरी के चुनाव हुए उसमें हो, इन लोगों की जो हालत पतली हुई है, उसका प्रदर्शन ये राजस्थान की जनता के सामने कर रहे हैं। इनकी हालत इससे भी गम्भीर पतली होने वाली है। आने वाले विधान सभा चुनावों में इनकी एक बैंच भी यहां नहीं रहेगी। आज राजस्थान की विधान सभा में इतने महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए थे, राजस्थान की जनता यह अपेक्षा कर रही थी कि ये डिबेट में भाग लेंगे, अपनी जनता का पक्ष रखेंगे। लेकिन बड़े शर्म और दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस उद्देश्य के लिए इनको विधान सभा में भेजा है उस उद्देश्य को पूरा करने में ये पूर्ण रूप से विफल हो रहे हैं और अपनी हताशा मिटाने के लिए हाय-हाय के नारे लगा रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ कहना नहीं, कोई कुछ करना नहीं। यहां यह देखकर बड़ी शर्म महसूस हो रही है कि इतने वरिष्ठ और सीनियर माननीय सदस्य हताश खड़े हुए इनको देख रहे हैं, इनके हाथ में अभी कुछ भी नहीं है।

मैं सबसे पहले राजस्थान की मुख्य मंत्री आदरणीय वसुन्धरा जी राजे का बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाने हेतु जोरदार कार्य किया है। इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कार्यकाल के दौरान जितने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय कायम किये थे, उससे भी अधिक इस कार्यकाल के दौरान विद्यालय और महाविद्यालय कायम करने की कार्यवाही की जा रही है। उसी में से एक ...(व्यवधान)

(सदन में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): जिन्होंने पूरी उम्र चोरियां कीं, जिन्होंने पूरी उम्र तक एक ही काम किया, वो लोग आज इस तरह से बातें कर रहे हैं। शर्म है, डूब मर जाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2015 पर मैंने जो जनमत जानने हेतु अपना प्रस्ताव दिया है, उसको वापस लेने की प्रार्थना के साथ ही निवेदन भी करूंगा कि यह ऐतिहासिक कदम है और शिक्षा जगत के अन्दर ...(व्यवधान) इसलिए मैंने जो जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए।

(कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भारी शोरगुल एवं नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: श्री रामहेत सिंह यादव।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वसुन्धरा जी राजे और माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय कालीचरण जी सर्राफ का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। राजस्थान सरकार यह चाहती है कि राजस्थान में एक अच्छा शैक्षिक माहौल बने। राजस्थान सरकार की नीयत साफ है, उसकी मंशा है कि पूरे हिन्दुस्तान में राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में और गौरव स्थापित करे। ऐसी यूनिवर्सिटी जहां बहुआयामी शिक्षा होगी, उच्च कोटि के लैब होंगे और निश्चित रूप से राजस्थान का विकास होगा। पूरे हिन्दुस्तान में राजस्थान सरकार का नाम होगा। इसलिए मैंने जनमत जानने के लिए जो आग्रह किया है उसको मैं वापस लेता हूं। इतना ही कहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री फूलचन्द भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से वर्तमान सरकार का धन्यवाद करूंगा कि राजस्थान में उच्च शिक्षा का पिछले पांच साल में जो भट्टा बैठ गया था, उसको परिमार्जित करने के लिए भूपाल नोबल्स कालेज जैसी संस्था को विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए यह विधेयक लाये हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार पाँच साल में केवल बिजली में 61 हजार करोड़ रुपये खा गयी। 61 हजार करोड़ रुपये का ब्याज 6 हजार करोड़ रुपये होता है। ये किस मुंह से बोल रहे हैं। इनको स्वीकार करना चाहिए। इनको हार स्वीकार करनी चाहिए। इनके कर्मों की, इनके पापों की हार स्वीकार करनी चाहिए। बिजली के 61 हजार करोड़ रुपये। ये गहलोत साहब यहीं बैठे हैं, 61 हजार करोड़ रुपये गये कहां?

श्री अध्यक्ष: विषय पर बोलिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): विषय पर आ रहा हूं मैं। मैं आपके माध्यम से वर्तमान सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि भूपाल नोबल्स कालेज जैसी संस्था को विश्वविद्यालय का दर्जा देने का एक्ट लाये हैं। मैंने इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करने का निवेदन किया था, लेकिन चूंकि इसकी आवश्यकता नहीं है इस कारण से मैं उसको वापस लेता हूं और आपके माध्यम से इसका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री झाबर सिंह खर्रा।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जिस प्रकार का शैक्षणिक माहौल बना हुआ है और विद्यालयों और महाविद्यालयों द्वारा जिस प्रकार डिग्रियों की बंदरबांट हो रही है, ऐसे में सरकार द्वारा यह कदम उठाना सराहनीय कदम है और मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में और बेहतर शैक्षणिक वातावरण बनाने में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इसी उम्मीद के साथ, मैंने जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, मैं सदन से इस प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री मान सिंह।

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक में राजस्थान सरकार ने एक नया आयाम स्थापित किया है। पिछले पांच साल में कांग्रेस राज में शिक्षा का भट्टा बैठा था, राजस्थान का शैक्षणिक वातावरण खराब करने का कांग्रेस ने काम किया था। मैं माननीय वसुन्धरा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बिल को लाकर, राजस्थान के अन्दर स्किल डवलपमेंट का विभाग खोलकर प्लेसमेंट को यूनिवर्सिटी के बिल में शामिल किया है। यह ऐतिहासिक कदम है, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के लोग जो हल्ला कर रहे हैं, जनता ने इनको हर तरीके से सबक सिखाने का काम किया है, कालिख पोती है। आज भी हल्ला करके सदन को गुमराह कर रहे हैं और इस सदन के माध्यम से जनता को गुमराह करने का काम रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को, शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इस भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक से शिक्षा का वातावरण सुधरेगा और राजस्थान में विद्यार्थियों को शिक्षा का एक नया क्षेत्र मिलेगा। मैंने जो जनमत जानने के लिए प्रस्ताव दिया था, उसको मैं वापस लेता हूं। धन्यवाद।

(कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भारी शोरगुल एवं नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: श्री मोहन लाल गुप्ता। (अनुपस्थित) श्री गोविन्द सिंह डोटासरा। (बोलने के लिए सीट पर उपस्थित नहीं हुए।) श्री रमेश। (बोलने के लिए सीट पर उपस्थित नहीं हुए।)

प्रश्न यह है कि विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के जो संशोधन श्री जोगाराम पटेल, श्री रामहेत सिंह यादव, श्री फूलचन्द भिण्डा, श्री झाबर सिंह खर्रा और श्री मानसिंह ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में उच्च शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने के लिए जब पिछली बार वसुन्धरा जी की सरकार बनी थी तो हमने यह तय किया था कि राजस्थान में निजी विश्वविद्यालय को इंट्रोड्यूज किया जाए। आज उसी का परिणाम है कि 42 यूनिवर्सिटी आज राजस्थान में निजी क्षेत्र में स्थापित हो चुकी हैं और हजारों-लाखों की संख्या में छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उसी क्रम में आज दो नये निजी विश्वविद्यालय राजस्थान में स्थापित हों, इसके लिए मैं यह बिल लाया हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 से 47 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 47 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 47 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 एवं 2 – कोई संशोधन नहीं।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की जाएं?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की गयीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड एक-अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड एक- अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2015 को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2015

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2015 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2015 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2015 को पारित किया गया।

महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2015 श्री कालीचरण सराफ।

विधेयक पर विचार

महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2015

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक के सम्बन्ध में निवेदन किया था, शिक्षा जगत में यह ऐतिहासिक कदम है कि उच्च शिक्षा में किस तरह से

(श्री जोगाराम पटेल)

मापदण्ड कायम किये जाएं, हमारे प्रदेश के युवाओं को किस तरह से रोजगार के अवसर प्रदान किये जाएं। विश्व और देश में ज्ञान के सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास के साथ कदम मिलाने को दृष्टि में रखते हुए युवाओं को उनके निकटतम स्थान पर अधुनातन शैक्षणिक सुविधाओं का उपबंध करने के लिये राज्य में विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय कायम करना और आधुनिक अनुसंधान और अध्ययन सुविधाओं का सृजन करना आवश्यक है जिससे उन्हें विश्व की उदार आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में मानव संसाधनों से संगत बनाया जा सके।

ज्ञान के क्षेत्र में तीव्र प्रगति और मानव संसाधनों की परिवर्तनशील अपेक्षाओं से यह आवश्यक हो गया है कि शैक्षणिक अनुसंधान और विकास की ऐसी संसाधनपूर्ण, त्वरित और उत्तरदायी प्रणाली सृजित की जाए जो एक आवश्यक विनियामक व्यवस्था के अधीन उद्यमितापूर्ण उत्साह से कार्य कर सके। ऐसी प्रणाली उच्चतर शिक्षा में कार्यरत पर्याप्त संसाधन और अनुभव रखने वाली प्राइवेट संस्थाओं को विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिये अनुज्ञात करने से और ऐसे विश्वविद्यालयों को ऐसे विनियामक उपबंधों से जो ऐसी संस्थाओं के कुशल कार्यकरण को सुनिश्चित करें, निगमित करने से सृजित की जा सकती है।

अरविन्द भारती विद्यालय समिति, जयपुर, राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के तहत गठित एक संस्था है और उसका रजिस्ट्रेशन 1975 में हो रखा है। यह संस्था बहुत बढ़िया कार्य कर रही है। इस संस्था की स्थापना के उपरान्त ही उन्होंने शिक्षा में जो आयाम कायम किये हैं, उसी के तहत यह विधेयक लाया गया है। मैं राजस्थान की आदरणीय यशस्वी मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे और आदरणीय शिक्षा मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं कि इतना जोरदार विधेयक लाये हैं। (व्यवधान) आपके हाथ में झुनझुना है, कुछ नहीं है, भूल जाओ। (व्यवधान) उक्त अरविन्द भारती विद्यालय समिति, जयपुर ने राजस्थान राज्य में मूण्डियारामसर, तहसील जयपुर, जिला जयपुर में एक ऐसी शैक्षणिक व्यवस्था स्थापित की है जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में दो-तीन सुझाव भी देना चाहूंगा। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि विश्वविद्यालय में जो टीचिंग स्टाफ लगता है, चाहे वह प्रोफेसर है, चाहे वह रीडर है, चाहे वह प्रधानाध्यापक है या वह किसी भी पोस्ट पर है, जीवनशैली के साथ-साथ चूंकि वह विश्वविद्यालय में

(श्री जोगाराम पटेल)

15-20 साल व्यतीत करता है, उसके रोजगार की गारंटी हो। जो एक राज्य कर्मचारी को बेनिफिट मिलते हैं वे सभी बेनिफिट उसको मिलें, ऐसी व्यवस्था किया जाना आवश्यक है जिससे विश्वविद्यालय का जितना भी टीचिंग स्टाफ है, नोन टीचिंग स्टाफ है उनके हितों की सुरक्षा हो सके, ऐसा मेरा अनुरोध है। मैं इस मौके पर निवेदन करूंगा कि राजस्थान की जनता ने आदरणीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में हम सभी को स्थापित किया है, हम सभी को यह आदेश दिया है कि हम शिक्षा में नये आयाम कायम करें और हम इसमें लगे रहेंगे। कई लोग हैं जिनके हाथ में कुछ नहीं है। हमारा दायित्व है, हम अपना दायित्व निभायेंगे। राजस्थान में विश्वस्तरीय शिक्षा मिले, ऐसे प्रयास करेंगे। ऐसे प्रयास आदरणीय मंत्रीजी कर रहे हैं, इसके लिये उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं यह भी निवेदन कर रहा हूं कि इनके कार्यकाल के दौरान इन्होंने शिक्षा का भट्टा बैठा दिया। आठवीं पास पढ़ाने के लिये लगा दिये गये। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद ऐसे आयाम कायम किये जा रहे हैं, ऐसे मुकाम कायम किये जा रहे हैं, ऐसे बिल लाये जा रहे हैं कि हमारे यहां से निकला हुआ विद्यार्थी विश्व में कहीं भी नहीं अटकेगा। उसे रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी। वह जीवन यापन करेगा, परिवार को पालेगा और राजस्थान का नाम रोशन करेगा और इनको कहेगा कि आप ऐसे थे कि इस बिल पर एक शब्द नहीं बोले। इनको निकम्मा कहेगा, इनको कहेगा कि आपने उस बिल पर कोई कार्यवाही नहीं की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करुंगा कि राजस्थान की 6 करोड़ की जनता इनको देख रही है। आज इतना महत्वपूर्ण बिल है, डिबेट में भाग लें, इसमें कमियां बताएं, सुझाव दें। पर इन सबको छोड़कर केवल हाय हाय कर रहे हैं, हाय हाय इनके जिम्मे रहा है। मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को जिस परिप्रेक्ष्य में लाया गया है, उसी परिप्रेक्ष्य में इसको पास किया जाए। मैंने जनमत जानने का जो प्रस्ताव दिया है, उसे वापस लेने की प्रार्थना करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्री रामहेत सिंह यादव।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2015 जो सदन में रखा गया है, उस पर विचार रखना चाहता हूं। इससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि 10 साल गहलोत जी की सरकार रही, राजस्थान में जिस तरह से शिक्षा ...

(श्री रामहेत सिंह यादव)

(व्यवधान) जिस तरह से फर्जी विश्वविद्यालय स्थापित किये गये, जोधपुर का उदाहरण है कि एक निजी विश्वविद्यालय ने फर्जी डिग्रियां बांटीं। केन्द्र में मनमोहन जी की सरकार थी, कांग्रेस के काले कारनामों के कारण पूरे हिन्दुस्तान में उसकी चर्चा हुई। पूरे हिन्दुस्तान में तय हुआ। कोयले में घोटाला हुआ, 2G में घोटाला हुआ, सारे हिन्दुस्तान ने कांग्रेस को साफ कर दिया। अभी नगरपालिका के चुनाव थे, जनता विधान सभा में विधायकों से हिसाब-किताब मांगती है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी नेता के नेतृत्व में राजस्थान की जनता ने नगरपालिका जितायी, उस हार को कांग्रेस के लोग पचा नहीं पा रहे। यहां पर चर्चा होगी, यहां पर राज का हिसाब-किताब होगा कि हमारी यशस्वी लोकप्रिय नेता वसुंधरा राजे के नेतृत्व में राजस्थान में विकास की क्या-क्या योजनाएं चल रही हैं, किस तरह के जनहित के निर्णय लिये गये। उसी एक निर्णय में यह है कि राजस्थान में अच्छी शैक्षणिक व्यवस्था हो, अच्छे विश्वविद्यालय आएं, उच्च स्तर का शैक्षणिक माहौल बने। इसी को ध्यान में रख कर हमारी नेता ने, हमारे शिक्षा मंत्री ने आज यह जो विधेयक रखा है जिसको मैंने जनमत जानने के लिये आग्रह किया था, उस प्रस्ताव को मैं वापस लेता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री फूलचन्द भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में उच्च शिक्षा पूरे भारतवर्ष के औसत से आगे ही है। अखिल भारतीय स्तर पर 57 हजार विद्यार्थियों पर एक विश्वविद्यालय है, हम सौभाग्यशाली हैं कि राजस्थान में 35 हजार विद्यार्थियों पर एक कालेज है। पूरे इंडिया में 57 हजार पर एक कालेज है। जिस नाम से आज यह विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, ये इस देश की प्रोपर्टी थे। महर्षि अरविन्द को सारा विश्व जानता है। भारतीय संस्कृति के बारे में जितना महर्षि अरविन्द का योगदान है, शायद ही किसी का योगदान हो।

(कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार नारेबाजी)

मैं आपके माध्यम से हमारे कांग्रेस के भाइयों को बताना चाहता हूं कि तीन-तीन विश्वविद्यालयों के पुलिस में केस चल रहे हैं वाइस चांसलरों के खिलाफ। जोधपुर के वाइस चांसलर के खिलाफ केस चल रहा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ केस चल रहा है, उदयपुर के विश्वविद्यालय के खिलाफ केस चल रहा है। ये किस मुंह से दावा करते हैं।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

उच्च शिक्षा जैसी पवित्र संस्था को इन्होंने बिगाड़ा। पैसे खा-खा कर नियुक्तियां दीं। वाइस चांसलर को नियुक्तियां दीं। भट्टा बैठा दिया। राजस्थान विश्वविद्यालय में 135 पोस्टों में से 134 पोस्ट खाली हैं। उदयपुर यूनिवर्सिटी का भट्टा बैठा दिया। एफ.आई.आर. लाज हो गयी, 135 में से 134 पोस्ट खाली कर के चले गए। इन लोगों को मालूम ही नहीं है, उच्च शिक्षा के बारे में जानते ही नहीं है। इनका विषय भी नहीं है विश्वविद्यालय के बारे में। राजस्थान में अगर किसी ने उच्च शिक्षा के बारे में काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वर्तमान सरकार ने काम किया है। विश्वविद्यालय खोले। क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों की स्थिति में भरतपुर सम्भाग को विश्वविद्यालय दिया, अलवर को विश्वविद्यालय दिया, सीकर को विश्वविद्यालय दिया, कोटा को विश्वविद्यालय दिया, बीकानेर को विश्वविद्यालय दिया, इंजीनियरिंग दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी, लॉ यूनिवर्सिटी दी। ये किस मुंह से बोल रहे हैं। जोधपुर विश्वविद्यालय में इनकी नाक के नीचे फर्जी डिग्रियां बंट गयीं जोधपुर विश्वविद्यालय में। लॉ की फर्जी डिग्रियां दीं। फर्जी डिग्रियां बांटी गयीं जोधपुर में। एक नहीं बीस हजार फर्जी डिग्रियां बंटीं जोधपुर में लॉ की। किस प्रकार की स्थिति है जोधपुर की? ये अपना आकलन भी नहीं करते। ये नारे लगाते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज है, उच्च शिक्षा अगर किसी प्रांत में है तो राजस्थान का नाम उच्च शिक्षा में है। उसे और ठीक करने के लिए वर्तमान सरकार लगी हुई है। मैं वर्तमान सरकार को धन्यवाद दूंगा कि वर्तमान सरकार ने, हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने महर्षि अरविंद के नाम से विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति दी है। मैं आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं और जनमत जानने का प्रस्ताव दिया था, उसको मैं वापस लेता हूं। अनुमति दी जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई, श्री सुखराम विश्नोई। श्री झाबर सिंह खर्रा।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): कांग्रेस भ्रष्ट है। कांग्रेस भ्रष्ट है।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, उनमें देश की भावी पीढ़ी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए शिक्षण संस्थाओं की महती आवश्यकता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज से छह सौ साल पहले तक हमारे राष्ट्र में विश्वविख्यात नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। धीरे-धीर शैक्षणिक गुणवत्ता में कमी आयी

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

और लार्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के बाद देश में ..(व्यवधान) बुरी तरह प्रभावित हुई। वर्तमान सरकार द्वारा शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने और राष्ट्र की भावी पीढ़ी को अच्छी शिक्षा देकर उन्हें एक देशभक्त नागरिक बनाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाये जा रहे हैं। महर्षि अरविंद विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना उन्हीं कर्मों का एक प्रयास है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस विश्वविद्यालय के माध्यम से देश और प्रदेश के नौजवानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी और वो देश के नव-निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। मैं जनमत जानने के लिए दिया गया मेरा प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री मानसिंह।

श्री मान सिंह (गंगापुर): अध्यक्ष महोदय, महर्षि अरविंद विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2015 लाकर राजस्थान सरकार ने फिर एक नया आयाम स्थापित किया है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, हम सौभाग्यशाली हैं। जो हिन्दुस्तान की संस्कृति को नहीं जानते, आज गणेश चतुर्थी है और महान शिक्षाविद् महर्षि अरविंद के नाम पर विश्वविद्यालय का यहां पर विधेयक लाया जा रहा है, उस विधेयक के बारे में इनको चिंता नहीं है। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हिन्दुस्तान में आज राजस्थान उस मुकाम पर पहुंचा है कि इक्यावन हजार बच्चों पर एक विश्वविद्यालय और तैंतीस हजार बच्चों पर एक कालेज राजस्थान में हमने स्थापित किया है जबकि देश में सत्तावन हजार विद्यार्थियों पर एक विश्वविद्यालय है। इस प्रकार से राजस्थान ने शिक्षा के क्षेत्र में जो स्थान प्राप्त किया है, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। जिस विश्वविद्यालय पर आज चर्चा हो रही है, उस विश्वविद्यालय के माध्यम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारे नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। सरकार की मंशा है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्किल डवलपमेंट और रोजगारपरक शिक्षा को विश्वविद्यालय से जोड़ने का जो काम किया है, उससे हमारी शिक्षा को नया आयाम मिलेगा। आपके माध्यम से, अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान के इतिहास में कांग्रेस ने हमारी शिक्षा का बंटाधार किया था लेकिन वापस हम राजस्थान को ऊंचाई पर पहुंचाने का काम करेंगे। मैंने जो जनमत जानने के लिए प्रस्ताव किया था, उसको वापस लेता हूं। जय हिन्द।

श्री अध्यक्षः श्री मनोज कुमार। बोलेंगे आप? नहीं? ठीक है।

(श्री अध्यक्ष)

श्री मोहन लाल गुप्ता, श्री गोविंद सिंह डोटासरा ।

प्रश्न यह है कि विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के जो संशोधन श्री जोगाराम पटेल, श्री रामहेत सिंह यादव, श्री फूलचन्द भिण्डा, श्री झाबर सिंह खर्रा व श्री मानसिंह ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किए जाने के संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री जी, आप बोलेंगे ? नहीं बोलेंगे? चलो, ठीक है।

प्रश्न यह है कि महर्षि अरविंद विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खंडश: विचार, खंड 2 से 48 कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 48-स्वीकार किए जाएं।

(स्वीकृत)

खंड 2 से 48 स्वीकार किये गये।

अनुसूची एक एवं दो, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची एक एवं दो स्वीकार की जाएं।

(स्वीकृत)

अनुसूची एक एवं दो स्वीकार की गयीं।

खंड 1 – अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खंड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, स्वीकार किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक, 2015

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नेशनल नालेज कमीशन ने यह अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 15 परसेंट उच्च शिक्षा के क्षेत्र में युवकों को शिक्षा मिलनी चाहिए, परन्तु वर्तमान में स्थिति है, उसके हिसाब से केवल आठ परसेंट बच्चों को उच्च शिक्षा मिलती है। जब 2003 से 2008 के बीच में वसुंधरा जी राजस्थान की मुख्य मंत्री बनीं, उन्होंने जो दृश्य देखा कि हमारे बच्चे पढ़ने के लिए महाराष्ट्र जाते हैं, आंध्र प्रदेश जाते हैं, कर्नाटका जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं तो उन्होंने निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता महसूस की, निजी क्षेत्र में कालेजेज खोलने की आवश्यकता महसूस की। आज उसी का यह परिणाम है कि राजस्थान में नये-नये सब्जैक्ट और जहां बच्चे माइग्रेट होकर के दूसरे स्टेट्स में जाते थे। आज बच्चे राजस्थान में आ रहे हैं। पिलानी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, मोदी इंस्टीट्यूट, वनस्थली जैसे ख्यातिनाम निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय आज काम कर रहे हैं। इसलिए हमने आवश्यकता को महसूस करते हुए ये नये विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय किया है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि महर्षि अरविंद विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2014 को पारित किया जाए।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक, 2015 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक, 2015 को पारित किया गया।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015

श्री वासुदेव देवनानी।

विधेयक पर विचार

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ...(व्यवधान) आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल लाया गया है यह राजस्थान के इतिहास में एक बहुत बड़ी पहल है। हम सब परिचित हैं ...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): कांग्रेस भ्रष्ट है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान हिन्दुस्तान के इतिहास में एक ऐसा काला कानून लाया गया था, उस काले कानून की वजह से जो अधिकार हैं...(व्यवधान) बालक और बालिकाएं शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं उनके साथ भारी अन्याय हुआ। राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री...(व्यवधान) सुराज संकल्प यात्रा पर निकलीं। अप्रैल और मई की तपती धूप के अंदर...(व्यवधान) प्रत्येक गांव, प्रत्येक ढाणी और प्रत्येक शहर में जब वह गयीं तो आम जनता से सुनने को मिला ...(व्यवधान) आम जनता की अपेक्षा मिली...

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: बैठ जाइये। बैठ जाइये। इनका काम है नारे लगाना, अपना काम है बिजनस करना। बोलिए, जोगाराम जी, बोलिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मैं यह निवेदन कर रहा था, काले कानून का ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठ जाइये। कृपया बैठ जाइये। इनको नारे लगाने दो, अपन अपना काम करें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): जब वह गांव-गांव और ढ़ाणी-ढ़ाणी... (व्यवधान) सुराज संकल्प यात्रा में राजस्थान की हितैषी मुख्य मंत्री वसुंधरा जी ने महसूस किया कि एक से आठ तक की कक्षा के बालक और बालिकाओं

(श्री जोगाराम पटेल)

को न तो फेल और न पास करने का कानून है, वह कानून वाकई शिक्षा के स्तर को डाउन कर रहा है। बालक और बालिकाओं के साथ अन्याय हो रहा है। उनको गुणवत्ता में शिक्षा मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है। तो उन्होंने गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में जनता की आवाज को सुना। (व्यवधान) अप्रैल और मई की तपती धूप में अभ्यर्थियों ने, नन्हें-नन्हें बालकों ने, उनके अभिभावकों ने, आम जनता ने उनके सामने प्रश्न किया कि अगर कोई पास या फेल ही नहीं होगा तो वह पढ़ाई क्या होगी। इसी को आधार बनाकर उन्होंने जगह-जगह आश्वासन दिया कि राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से, जनता के मत से अगर राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी तो इस संबंध में आवश्यक कानून बनाया जाएगा। सुराज संकल्प का जो परिपत्र पेश किया ...(व्यवधान) जो आवरण पेश किया उसमें भी इन्होंने अपना यह संकल्प दोहराया कि हम जब कानून में आएंगे, हम जब सत्ता में आएंगे तो इस सम्बन्ध में आवश्यक संशोधन करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, दिनांक 01.04.2010 से प्रभावशाली हुआ। यह अधिनियम राज्य में सरकारी और गैर सरकारी सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय जिनमें कक्षा से 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): डोटासरा जी, थक गये हो... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): सीबीसी कोर्स के तहत जितने भी केन्द्रीय विद्यालय हैं उनमें ...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सीट पर बैठ जाओ ... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): शिक्षा बोर्ड के जितने भी विद्यालय हैं, अनुदानित और गैर अनुदानित विद्यालय हैं, उनमें यह कानून लागू हो रहा है। (व्यवधान) इस कानून में अनेक खामियां थीं, वे हैं। तत्कालीन राजस्थान सरकार ने 29.03.2011 को राजस्थान में धारा 38 का प्रयोग करते हुए इस अधिनियम के तहत प्रावधानों की पालना हेतु राजस्थान नि:शुल्क गैर अनिवार्य बाल शिक्षा का...(व्यवधान) 2011 पारित किया जो 29.03.2011 से लागू हुआ। (व्यवधान) धारा 16 का जो प्रावधान बनाया गया था वह धारा 16 इस प्रकार

(श्री जोगाराम पटेल)

थी- रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध...(व्यवधान) किसी विद्यालय में प्रवेश वाले को किसी कक्षा में नहीं रोका जाएगा...(व्यवधान) या विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा पूरा किये जाने तक वह निष्कासित नहीं किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि न तो उसको पास करना है न उसको फेल करना है, तो फिर पढ़ाई काहे की? (व्यवधान) इसीलिए यह प्रोगेसिव बिल लाया गया है इसमें यह प्रावधान किया गया है, धारा 35 और 36 में प्रोवीजो जोड़ा गया है, provided that, if a sign is not achieved because of proper learning level in clauss he may be held back in the class. मैंने इस संबंध में एक संशोधन दिया है। मैं मंत्री जी से निवेदन भी करूंगा कि अगर कोई विद्यार्थी लगातार दस साल तक उस लेवल को प्राप्त ही नहीं करे तो उस सम्बन्ध में कोई न कोई प्रावधान बनाया जाना चाहिए ताकि उस विद्यालय का नाम खराब नहीं हो। मैं आदरणीय शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि पहली बार एक साथ पांच हजार विद्यालयों को क्रमोन्नत किया। चार लाख का एनरोलमेंट इस साल ज्यादा हुआ। इनके कार्यकाल के दौरान शिक्षा का भट्टा बैठ गया था, अब सुधार हुआ। चार लाख विद्यार्थियों का एनरोलमेंट पहली बार ज्यादा हुआ। जिनका प्रमोशन होना था उन सब शिक्षकों का प्रमोशन हुआ। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि मैंने जनमत जानने का जो प्रस्ताव दिया है उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः श्री रामहेत सिंह यादव।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कांग्रेस के पांच साल के राज में शिक्षा की दुर्गति हुई थी। (व्यवधान) माननीय वसुन्धरा जी का राज बनने के बाद माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार के प्रयास से राजस्थान की शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन किये गये। उसी दिशा में गांव के व्यक्ति को वहीं गांव में अच्छी शिक्षा मिले इसलिए पांच हजार माध्यमिक विद्यालय को सीनियर किया गया। शिक्षा जगत से ...(व्यवधान) सैकिण्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के टीचर्स ...(व्यवधान) अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। झोंपड़ी में रहने वाला गरीब का बालक भी एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ले, इसके लिए उसका परीक्षण होना आवश्यक है। पूर्ववर्ती कानून में व्यवस्था थी, कि पहली क्लास से आठवीं तक किसी को फेल नहीं करेंगे...(व्यवधान) इसका मतलब यह है कि उसकी गुणवता, वह कहां स्टैण्ड करता है... राजस्थान में शिक्षा का वातावरण गिरा था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं

(श्री रामहेत सिंह यादव)

थी इसलिए यह संशोधन विधेयक लाया गया। नि:शुल्क शिक्षा और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार राजस्थान (संशोधन विधेयक) 2015 पर जनमत जानने के लिए मैंने आग्रह किया था, उस प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री फूलचन्द भिण्ड़ा। (व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यक्ष जी, राजस्थान में ...(व्यवधान) ये कुकर्म हैं, आपके पाप हैं पाप। आपके शिक्षा के पाप हैं।

श्री अध्यक्ष: आप बोलिए। इधर आसन को संबोधित कीजिए। (व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यक्ष जी, 53 वर्षो तक शासन करने के बाद भी, जब हम आजाद हुए थे तो साढ़े तैंतीस करोड़ लोग अनपढ़ थे और इस कांग्रेस के ...(व्यवधान) साढे तैंतीस करोड़ लोग अनपढ़ हैं।

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोरगुल व नारेबाजी)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप जरा पीछे मुड़ कर पूछ लो, अशोक गहलोतजी से पूछो कि शेरखान कौन है। आप जरा पीछे मुड़कर पूछ लो, उसके बाद में बोलो। शेरखान कौन है, गहलोतजी से पूछो।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): पंकज गहलोत कौन है, यह भी पूछ लो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): पंकज गहलोत कौन है, कौन लाया था पंकज गहलोत को?

श्री अध्यक्ष: बैठिये, मेरी बिना अनुमति के मत बोलिये। अंकित नहीं होगा। अनुमति लेकर बोलिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): नि:शुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। आठवीं तक फेल नहीं करने का जो प्रावधान था, वह गांव के बच्चों के प्रति, गरीबों के प्रति एक दुष्प्रवृत्ति थी। कांग्रेस के लोग नहीं चाहते थे कि इस देश का गरीब व्यक्ति जो हमारा वोट बैंक है, वह नष्ट हो। इस कारण से आठवीं तक के बच्चों को फेल नहीं किया जाए, ऐसा प्रावधान किया इन्होंने। उस प्रावधान को समाप्त कर गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने का प्रावधान हम कर रहे हैं। इन्होंने पहले एक पाप और किया था, 1200 रुपये देकर के गरीब के बच्चों को नौकरी देते थे। उनको हमारे घनश्यामजी तिवाड़ी

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

ने 4400 रुपये दिये। उनको वसुंधराजी ने परमानेंट किया। ये शिक्षा के प्रति कभी भी आकर्षित नहीं रहे। कांग्रेस का यही काम रहा कि गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी बना रहे और। इस कारण से इनका वोट बैंक बना रहे। अब इनकी कुछ हैसियत है नहीं। गांव में शिक्षा की जो व्यवस्था थी, इसको हमने ठीक करने की कोशिश की है। एक से बारह तक के स्कूल हमने खोले हैं, एक से आठ तक के स्कूलों में वर्गीकरण किया है। सब स्कूलों में अध्यापक लगाने का हम प्रयास कर रहे हैं। पिछले पांच महीने में तीन-तीन बार डी.पी.सी. बैठा कर हमने स्कूलों को व्यवस्थित किया है। इस कारण से इनको रास नहीं आ रहा है। ये ऐसे ही चलाना चाहते हैं। इनसे पूछो कि इन्होंने कौन से स्कूल, कालेज खोल दिये। हमने एक साथ पांच हजार सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोले हैं। इन्होंने तो प्राइमरी भी नहीं खोले थे। वसुंधरा राजे के पिछले कार्यकाल में सैंतीस हजार स्कूल हमने खोले थे, इन्होंने सैंतीस सौ स्कूल नहीं खोले। ये किस मुंह से बोल रहे हैं। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, शिक्षा जैसे पवित्र मंदिरों को इन्होंने भ्रष्ट किया है। इन्होंने सारा भ्रष्टाचार फैलाया है। इस कारण से आपके माध्यम से मैं इस विधेयक में जो संशोधन है, उसका समर्थन करता हूं और जनमत जानने के लिये जो प्रस्ताव किया था, उसको वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोरगुल व नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल। श्री पब्बारामजी।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 पर अपना अभिमत रखने के लिये प्रस्तुत हुआ हूं। (व्यवधान)

माननीय, भारतीय प्रतिभाओं की विश्व भर में धाक है, भारतीय प्रतिभाओं की धाक और लोहा सम्पूर्ण विश्व मान चुका है। भारतीय मूल के लोग नासा के अन्दर 60 प्रतिशत हैं हैं और विभिन्न प्रकार की कम्पनियों के अन्दर सी.ई.ओ. भी लगे हुए हैं। प्रतिभाएं विदेशों में भी अपना लोहा मनवा रही हैं और में 2009 में एक काला कानून लाया गया जिसके द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता को बाधित करने का प्रयास किया गया। उस समय कक्षा एक से लेकर आठ तक 'नो डिटेंशन', यानी कि किसी भी विद्यार्थी को रोका नहीं जाए। चाहे वह शिक्षा के उस स्तर को प्राप्त करता हो अथवा नहीं करता हो। यह एक प्रकार का प्रतिगामी कदम था। शिक्षा के क्षेत्र में इसी को लेकर माननीय

(श्री पब्बाराम)

वसुंधराजी राजे ने सुराज संकल्प यात्रा के दौरान यह वादा किया था कि इस 'नो डिटेंशन' वाले काले कानून को हम रिवर्स करेंगे और अधिगम स्तर को प्राप्त न करने वाले को विद्यार्थी को उसी विद्यालय में उसी कक्षा में रोका जा सकेगा। इसी संदर्भ में यह कानून लाया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में विकास और उन्नति का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जब से देश आजाद हुआ है, पांच हजार सीनियर सैकण्डरी स्कूल पूर्व में खुल चुके थे। परन्तु एक ही आदेश के द्वारा, माननीय वासुदेवजी देवनानी और यशस्वी मुख्य मंत्री वसुंधराजी को मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि पांच हजार स्कूलों को आपने क्रमोन्नत किया है। यह एक प्रकार का इतिहास है, न भूतो न भविष्यति। कोई भी ऐसी पंचायत नहीं है, जहां पर सीनियर सैकण्डरी न हो। यह बहुत बड़ा कार्य किया है। मैं वासुदेवजी देवनानी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, कांग्रेस ने समानीकरण करने का प्रयास किया था लेकिन इनको अपने कदम वापस लेने पड़े थे, परन्तु आपने स्टाफिंग पैटर्न के द्वारा विद्यालयों से उन शिक्षकों को जहां पर छात्र नहीं थे, निकालकर दूरस्थ स्थान पर भिजवाया और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का बीड़ा उठाया। इसी प्रकार से शिक्षक क्षेत्र में वर्षों से डी.पी.सी. नहीं हुई थी, उनकी पदोन्नति नहीं हुई थी। पदोन्नति का बहुत बड़ा लाभ शिक्षकों को दिया। वर्ष 2015-16 तक की डी.पी.सी. करवाकर के शिक्षकों को पदोन्नति देने का कार्य किया, मैं सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। इसी प्रकार से शिक्षा मित्र, आपने बारह सौ रुपये में शिक्षकों को लिया था, शिक्षा मित्र लिये थे। सरकार ने अभी 33000 से अधिक लोग लेने का कार्य किया है, इसके लिये भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। सुराज संकल्प यात्रा के उस वादे को पूरा करते हुए...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय वसुंधराजी ने जिस प्रकार से कार्य किया है, इस विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित करने का मेरा जो आग्रह था, उस आग्रह को वापस लेने की अनुमति माननीय अध्यक्षजी से चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई। श्री बृजेन्द्र सिंह ओला। श्री मान सिंह।

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नि:शुल्क शिक्षा और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 लाया गया है राजस्थान में जो प्राइमरी शिक्षा है, उसको मजबूत करने के लिये। पिछले पांच साल के कांग्रेस के शासन में एक से लेकर आठ कक्षा तक के बच्चे को लगातार, चाहे वह जाने नहीं जाने, पास कर दिया जाता था। गरीब के बच्चे के साथ में खिलवाड़ कि वह बच्चा हमेशा गरीब बना रहे। कांग्रेस यह सोचे कि उसका वोट बैंक बना रहे। जनता ने माननीय वसुंधराजी से सुराज संकल्प यात्रा के दौरान आग्रह किया। माननीय वसुंधराजी ने इस अधिकार के तहत आठवीं का बोर्ड लागू करने का प्रावधान, पहली बार स्कूलों में प्रबन्ध समिति को मजबूत कर मानिटरिंग की जो व्यवस्था की है, वह ऐतिहासिक साबित होगी। माननीय अध्यक्षजी, मैंने जनमत जानने के लिये जो प्रस्ताव किया था, उसको वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र (डग): माननीय अध्यक्षजी, आपको धन्यवाद, आपने नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 पर बोलने का मौका दिया। माननीय सदन की नेता राजस्थान के विकास को चरमोत्कर्ष पर ले जाना चाहती हैं। विश्व के अन्दर भारत का शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम है। पिछली सरकार द्वारा बालकों की शिक्षा का अवमूल्यन किया गया। वे बच्चे जो आई.ए.एस., आई.पी.एस., इंजीनियर, डॉक्टर, न जाने क्या-क्या बनते, उनको धक्का देकर पास करने की प्रवृत्ति जो उस सरकार ने की, उससे राजस्थान का बहुत अवमूल्यन हुआ। माननीय मंत्रीजी द्वारा जो विधेयक पेश किया गया, मैंने जो इसको जनमत जानने का प्रस्ताव दिया था, उसको मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोरगुल व नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: श्री मोहनलाल गुप्ता। श्री गोविन्द सिंह डोटासरा। श्री कैलाश चौधरी।

(15.00 बजे)

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भारी नारेबाजी व शोरगुल)

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 के संशोधन के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। मैं हमारी मुख्य मंत्रीजी

(श्री कैलाश चौधरी)

को और शिक्षा मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि वे ऐसे विधेयक को लेकर आये। कांग्रेस की पिछली सरकार रही, उसकी नीति थी कि अनपढ़ को अनपढ़ रखा जाए, शिक्षा से वंचित रखा जाए। ये इनका वोट बैंक समझते थे कि अगर ये शिक्षित हो गये तो हमारी नीति को समझ जाएंगे। भ्रष्टाचार करना व अन्य जो इनकी नीति थी, उसको समझ जाएंगे। इसके लिए इन्होंने एक तो यह किया कि हमें इनको अनपढ़ रखना है। इसी लिए हमारी मुख्य मंत्रीजी ने 'सुराज संकल्प यात्रा' के अन्दर कहा भी था, आठवीं तक फेल करना है, वह जो इन्होंने एक नीति बना रखी थी उसको बंद, जैसा वादा किया था। उस वादे के अनुसार हमारी मुख्य मंत्रीजी आठवीं तक पास करने का जो बिल लायी है, निश्चित रूप से मैं इसकी तारीफ करूंगा। हमारी बहिनें और भाई शिक्षा से वंचित रह रहे थे। आठवीं तक फेल का था, उसके बाद में शिक्षा में विद्यालय क्रमोन्नत किये। इनके शासन के अन्दर इन्होंने सोचा भी नहीं कि हम विद्यालय क्रमोन्नत करेंगे। हिन्दुस्तान आजाद हुआ, उस समय से लेकर सिर्फ 3500 हायर सैकण्डरी स्कूल थे, लेकिन इस एक वर्ष के अन्दर 5200 हायर सैकण्डरी क्रमोन्नत किये, यह हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

विद्यालय के अन्दर जो शिक्षक थे, उन शिक्षकों का भी प्रमोशन किया गया। इतना अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है, निश्चित रूप से आने वाले समय में राजस्थान शिक्षित होगा। लेकिन, कांग्रेस के शासन के अंदर जिस तरह से शिक्षा का बंटाढार हुआ, राजस्थान की जनता आपको कभी भी माफ नहीं करेगी।

आप भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आज यहां आकर आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो आपके तो रोजाना घोटाले होते थे। कभी 2-जी स्पैक्ट्रम घोटाला, कभी आदर्श सोसाइटी घोटाला। घोटालों की सरकार तुम्हारी और यहां पर अब जनता देख रही है कि आप क्या कर रहे हो। मैं धन्यवाद दूंगा हमारी मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने ऐसे घोटाले करने वाले का पर्दाफाश किया। आने वाले समय में जैसा कि मोदीजी ने कहा है कि 'न खाऊंगा और न खाने दूंगा', उसी की यह शुरूआत है। आपने जो घोटाले किये हैं, हमारी सरकार उजागर करेगी और आप में से कई जेलों में जाएंगे। यह तो शुरूआत है इसलिए आप चिंता न करें।

लेकिन, जनमत जानने के लिए मैंने यह प्रस्ताव जो रखा है, उसको मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मानिक चंद सुराना। श्री रमेश। श्री बंशीधर।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भारी नारेबाजी व शोरगुल)

श्री बंशीधर (खण्डेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा और कांग्रेस का हमेशा चोली-दामन का सम्बन्ध रहा है। कांग्रेस कभी भी नहीं चाहती थी कि कोई पढ़े। पढ़ा-लिखा आदमी कांग्रेस को वोट कभी नहीं देता है। इसी कारण इन्होंने शिक्षा का भट्टा बैठाने के लिए एक से आठवीं तक सबको पास करना अनिवार्य कर दिया था। वह एक बहुत खराब बात है। हमारी आदरणीया वसुंधराजी राजे ने यह तय किया था कि गांवों और ढाणियों में पढ़ने वाले लड़के हैं, उनको पढ़ाई के हिसाब से पास किया जाए न कि अपग्रेड किया जाए। अप-ग्रेड करने का मतलब तो गांव और ढाणी में आठवीं तक पढ़ा लड़का 'क, ख, ग' भी नहीं पढ़ सकता। यह कांग्रेस सरकार की सोच थी। वह ढाणी और गांव के लिए, सबके लिए कुठाराघात थी। इसलिए मैंने जो यह जनमत जानने के लिए प्रस्ताव दिया था, उसको मैं वापस लेता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री मनोज कुमार।

प्रश्न यह है कि विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के जो संशोधन श्री जोगाराम पटेल, श्री रामहेत सिंह यादव, डा. फूलचन्द भिण्डा, श्री पब्बाराम, श्री मान सिंह, श्री रामचन्द्र, श्री कैलाश चौधरी, श्री बंशीधर ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रश्न यह है कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड-2, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

खण्ड-3, श्री जोगाराम पटेल, बोलेंगे क्या? आप बोल चुके।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः अनुमति प्रदान की गयी।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-3 स्वीकार किया गया।

खण्ड-4 से 6, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-4 से 6 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-4 से 6 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1–अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री वासुदेव देवनानी, प्रस्ताव कीजिए।

(कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भारी नारेबाजी व शोरगुल)

विधेयक का पारण

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): पहले बोल लूं न? माननीय अध्यक्ष महोदय, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम सभी बालकों को नि:शुल्क और अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार उपबंधित करता है। कांग्रेस सरकार के मन में गरीब और कमजोर वर्ग को शिक्षा देने का कभी भी मूल भाव रहा ही नहीं। उन्होंने हमेशा गांव वालों को कमजोर रखने का षड्यंत्र रचा। इस आधार पर आठवीं के अन्दर इस प्रकार के प्रावधान रखे ताकि मेरे इस राजस्थान का विद्यार्थी गरीब रहे, कमजोर रहे, कभी भी आगे न आ पाए। आर.टी.ई. का मूल उद्देश्य होना चाहिए था कि हर

(श्री वासुदेव देवनानी)

गरीब को शिक्षा मिले, वह स्कूल में जाकर पढ़ाई करे, उसका गुणवत्तापूर्ण सुधार हो और उसकी स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं, वे सुधरें। लेकिन इन्होंने प्रावधान ऐसे रखे कि न तो स्कूल चले और न वहां पर बालक जा पाए। इस आधार पर यह संशोधन लाने के लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि हम शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार लाएंगे। उस सुधार के तहत राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने इस संशोधन को विधान सभा में विधेयक के रूप में लिया है। उस आधार पर हमने संशोधन प्रस्तुत किये हैं, इसमें प्रस्तुत किया है।

मेरे इस राजस्थान के बालक जो राजस्थान की 58743 प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, 60 लाख से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका जीवन सुधरें, इसलिए हमने संशोधन किया है ताकि बालक को उसकी आयु के अनुसार बराबर की शिक्षा मिल सके। उसके आधार पर हमने सुझाव दिया, संशोधन किया धारा-8 के अन्दर कि बालक को पूरी शिक्षा देने की सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार इसको वहन करेगी।

दूसरा, इन्होंने षड्यंत्र करके यह कहा था कि बालक को कक्षा एक से आठ तक फेल नहीं करेंगे, उनकी नींव कमजोर रखेंगे ताकि राजस्थान का बच्चा आगे नहीं बढ़ सके, गांव का बालक नहीं बढ़ सकें। इसलिए हमने प्रावधान किया है कि कक्षा एक से आठ तक हम मूल्यांकन करेंगे। जो विद्यार्थी इसके योग्य नहीं होगा, उसको उस क्लास में ही रोकेंगे, उसकी पढ़ाई की भी व्यवस्था करेंगे। साथ में यह भी प्रावधान रखा कि बराबर की कक्षाओं में पढ़े इसलिए मेरा अध्यापक उसको अलग से एक्स्ट्रा क्लासेज द्वारा भी उसको पढ़ाकर समकक्ष लाए। साथ में जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, उनको भी पावर दिये हैं कि शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उसका भी वह मूल्यांकन कर सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक आपसे निवेदन करूंगा, 25 परसेंट गरीब बच्चों को शिक्षा देने का जो प्रावधान था, आई.आई.एम., सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन, विधि सेंटर फार लीगर पालिसी द्वारा स्टेट आफ नेशन में एक प्रकाशित हुआ है कि राजस्थान इस देश में पहला राज्य है। गरीब 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को हम अधिकतम संख्या में प्रवेश दे रहे हैं। आज 5,99,727 गरीब बच्चों को 25 प्रतिशत के द्वारा 27 हजार स्कूलों में हम नि:शुल्क पढ़ा रहे हैं। कभी उनका स्वप्न नहीं था कि हम प्राइवेट स्कूलों में जाकर पढ़ पाएंगे क्या। कभी उनका स्वप्न नहीं था। उसके स्वप्न को हमारी माननीय मुख्य मंत्री

(श्री वासुदेव देवनानी)

वसुन्धरा राजे ने साकार किया है। आज गरीब बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। राजस्थान सरकार अपने बजट से 400 करोड़ से अधिक रुपये इन प्राइवेट स्कूलों को देकर बच्चों का भविष्य बना रही है। इस प्रकार से ये बच्चे आगे पढ़ रहे हैं। बालक कक्षा के अनुसार सीखे, उसका मूल्यांकन सही हो, एस.एल.सी. मजबूत हो, एक्स्ट्रा करिकूलर एक्टिविटी करे, इसके लिये उनकी एकेडमिक आथोरिटी हमने एस.आई.टी. को बनाया है ताकि वह कक्षा एक से लेकर आठ तक का लर्निंग लेवल तय कर सके और उस लर्निंग लेवल के आधार पर राजस्थान का विद्यार्थी सक्षम होकर आगे बढ़े। आठवीं में पास होकर आएगा, फिर वह नवीं में जाएगा। आगे बढ़कर वह दसवीं और बारहवीं में अच्छी शिक्षा ग्रहण करके पहुंचेगा तो इस देश का भविष्य उज्ज्वल करेगा। राजस्थान देश की शिक्षा में पहले नम्बर पर आने की प्रक्रिया में आगे बढ़ गया है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: डिबेट को।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए।

(स्वीकृत)

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया गया।

श्री वासुदेव देवनानी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: थक गये, सब थक गये। ये सब थक गये। अब आप बुला लो। श्री जोगाराम पटेल। अब आप बुला लो। ये सब थक गये।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारेबाजी)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015 पर मैंने जनमत जानने का अपना जो प्रस्ताव दिया था, मैं आपके माध्यम से इसे वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री रामहेत सिंह यादव (अनुपस्थित), श्री फूलचन्द भिण्डा (अनुपस्थित), श्री प्रहलाद गुंजल (अनुपस्थित), श्री पब्बाराम।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से। अभी कांग्रेस के भाई लोग यहां पर हल्ला कर रहे हैं, न तो इनको पहले शिक्षा के बारे में चिन्ता थी और न ही इनको आज चिन्ता है। और जब राजस्थान की विधान सभा में शिक्षा के बारे में चर्चा हो रही है उस समय में ये लोग यहां पर हल्ला मचा रहे हैं। माननीय वसुन्धरा जी ने जो जन-प्रतिनिधि थे, उनके लिये शिक्षा की अनिवार्यता की थी आठवीं और दसवीं, उस समय इन्होंने कहा था। प्रतिगामी कदम उठा रहे थे और यह कह रहे थे कि हमें शिक्षा की आवश्यकता नहीं और आज भी राजस्थान को अशिक्षित रखने का दुष्चक्र और षड्यन्त्र रचने जा रहे हैं। सुराज संकल्प यात्रा के दौरान माननीय वसुन्धरा जी ने एक वादा किया था कि हम तीन-तीन परीक्षाएं जो राजस्थान के शिक्षकों की ली जा रही हैं, उसको हम मात्र एक परीक्षा के अन्दर समायोजित करेंगे (1) Rajasthan recruitment cum eligibility exam for teachers 'REET' के द्वारा जो इन्होंने टैट किया था, उस टैट को भी हटाया और दुबारा शिक्षक भर्ती के लिये जो आर.पी.एस.सी. वाला था, उसे भी हटाकर मात्र एक परीक्षा रखी। मैं माननीय वसुन्धरा राजे जी सिंधिया और हमारे शिक्षा मंत्री का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैंने इस राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015 को जन मत जानने के लिये परिचालित करने का जो निवेदन किया था, उसे वापस लेने की अनुमति चाहता हूं, अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई। श्री बृजेन्द्र सिंह ओला। (अनुपस्थित) श्री मानसिंह।

श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के नौजवानों को रोजगार के लिये दो-दो परीक्षाओं से गुजरना पड़ रहा था, टैट और रीट से, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने नौजवानों से वादा किया, एक परीक्षा होगी रीट के माध्यम से। अब बच्चे एक ही परीक्षा के माध्यम से अध्यापक की परीक्षा दे सकेंगे, इससे उनको बड़ा भारी लाभ होगा। बच्चों का समय

(श्री मानसिंह किनसरिया)

बचेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा। मैं इस अवसर पर शिक्षा मंत्रीजी से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि इसकी एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को बनाया है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अन्दर गोपनीय शाखा का जो डायरेक्टर है, उस डायरेक्टर को एक्सटेंशन देने का काम माननीय पूर्व मुख्य मंत्री, गहलोत साहब ने किया था। उस पी.के. माथुर ने हमारी विश्वसनीयता को खत्म किया है, इसलिये मैं चाहूंगा, शिक्षा मंत्रीजी, इस प्रकार के अधिकारी को जो इन्होंने एक्सटेंशन दिया है, उसके खिलाफ भी जांच बैठाने का काम करें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की विश्वसनीयता बहाल करें ताकि इस रीट के माध्यम से नौजवानों को मौका मिले। अध्यक्षजी, मेरा जो जन मत जानने का प्रस्ताव था, उसको वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (अनुपस्थित), श्री कैलाश चौधरी (अनुपस्थित) मास्टर मामन सिंह यादव। हां, आप बोलिये। (व्यवधान) आप बैठिये। मामन सिंहजी बोल रहे हैं।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारेबाजी)

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): माननीय अध्यक्ष महोदयजी, शिक्षा के विधेयक पर आपने जो अनुमति दी, उसके लिये धन्यवाद। आज कांग्रेस के माननीय सदस्य इस तरह से जो हो-हुल्ला मचा रहे हैं, यह बहुत ही खेद का विषय है। कुरीतियों के कारण, भ्रष्टाचार के कारण इन्होंने जो शिक्षा का भट्टा बैठाये रखा, वह इनका एक षड्यन्त्रपूर्ण कार्य था कि गरीब और किसान के बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाए। आठवीं तक फ्री में पास। स्कूल जाने की जरूरत नहीं, परीक्षा देने की जरूरत नहीं, आठवीं तक सब पास। कोई गरीब किसान और गांव का छात्र गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करके बड़े पदों पर नहीं चला जाए। ये इनकी नीतियां थीं। उन नीतियों के कारण, भ्रष्टाचार के कारण आज ये असेम्बली चुनाव में 21 पर आ गये। फिर इन्होंने उम्मीद की कि पार्लियामेंट चुनाव में हम आ जाएंगे, उसमें भी धराशायी हो गये, 25 में से पूरा साफ। उसके बाद नगर परिषद चुनाव में इन्होंने फिर सोचा कि अब बीजेपी की हवा कम हो गयी, हम अब आ जाएंगे। नगर परिषद में भी इनका सफाया हो गया और अभी पंचायत चुनाव में सफाया। निकाय चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने से अब ये हताश हो चुके हैं। जो शिक्षा आधार है हमारे प्रदेश के विकास के लिये, जनता के विकास के लिये, देश के विकास के लिये, जिस पर विधेयक लाया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी को और माननीय शिक्षा

(मास्टर मामन सिंह यादव)
मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, सन् 1952 से लेकर आज तक यह ऐतिहासिक कदम है। लेकिन प्रतिपक्ष इसको नहीं समझ रहा। इनको ऐसे विधेयक लाने पर धन्यवाद देना चाहिये । पैटर्न शिक्षा के तहत, समानीकरण के तहत हर स्कूल को अध्यापक दिया जा रहा है। हिन्दुस्तान में पहली बार इस राजस्थान में इतनी ज्यादा पदोन्नतियां चाहे सैकिण्ड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे प्रिंसिपल हो, इतनी ज्यादा पदोन्नतियां हुई हैं। विद्यार्थी मित्रों को बेरोजगार इन्होंने किया। इन्होंने उनको 1200-1200 रुपये में लगा लिया। 1200 रुपये में तो एक चपरासी भी नहीं मिलता, एक मजदूर भी नहीं आता। वहां 20 हजार वाले शिक्षक, 30 हजार वाले लगाये। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने इनका समानीकरण करके विद्यार्थी मित्रों को लगाया। उसके साथ-साथ सर्व शिक्षा पैटर्न के तहत स्कूल खोले, 34 हजार पद भर्ती के और पद दिये। अब इनका काम क्या रह गया? एक-दो आदमी पकड़ लेते हैं और जो स्कूलों में भर्ती की जा रही है, उनके अन्दर स्टे लगवाना, कोर्ट में चले जाना, यह इनका धंधा रह गया। इनका और कोई धंधा नहीं।

मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस तरह का आमूलचूल परिवर्तन शिक्षा जगत में किया है। देखिए, जिन गरीबों को शिक्षा नहीं मिल पाती है, उनके लिए हर विधान सभा क्षेत्र में दो-दो, चार-चार स्कूल पीपीपी माडल पर खोले जाएंगे। उनके अन्दर गरीब, गांव और किसानों के बेटों को शिक्षा मिलेगी। ऐसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किये जाने का काम किया है, जो काम कांग्रेस ने कभी नहीं किया। ऐसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण विधेयक पर आज चर्चा हो रही है, चार-पांच विधेयक पास हो रहे हैं। जनता आपको देख रही है। माननीय सदस्यगण, मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारे माननीय सदस्यगण विराजमान हैं, जिस तरह महाभारत के समय धृतराष्ट्र बैठे-बैठे देखते रहे और कौरव अपराध करते रहे, मैं माननीय पूर्व मुख्य मंत्री महोदय और माननीय प्रद्युम्न सिंहजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप कौरव सेना को शांत करिए ताकि यह सदन चल सके और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो सके। नहीं तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। इक्कीस से एक रह जाओगे, जीरो भी हो सकता है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र तिजारा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मैं विधायक बना हूं। माननीय प्रधान मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी का सपना है कि हिन्दुस्तान को कांग्रेस मुक्त करना है। अभी तिजारा में

(मास्टर मामन सिंह यादव)

नगरपालिका के चुनावों में एक भी कांग्रेस का पार्षद नहीं आया। जीरो रिजल्ट है। ऐसा आपका हश्र होगा। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं संतुष्ट होकर मेरे जन मत जानने हेतु परिचालित करने के प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश चौधरी।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदय जी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015 के सम्बन्ध में जनमत जानने हेतु परिचालित करने का मैंने प्रस्ताव रखा है। शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आज प्रतिपक्ष जिस तरह का हुल्लड कर रहा है, बिना मुद्दे पर ये बोल रहे हैं, जिसका कोई मकसद नहीं। जनता इनको देख रही है कि ये क्या कर रहे हैं और इनको किसलिए जिता कर भेजा है। कांग्रेस की सरकार ने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया, रीट और टैट लाये। युवाओं को दो-दो और तीन-तीन परीक्षा देने के बाद बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती थी1 ऐसे बिल में संशोधन हेतु हमारे माननीय शिक्षा मंत्रीजी जी और माननीय मुख्य मंत्रीजी प्रस्ताव लाये। चुनाव के समय जो वायदा किया था, हमारी सरकार जो भी वायदा करती है, उसको पूरा करती है। उसी के तहत यह बिल लाया गया है।

प्रत्येक पंचायत के ऊपर हमने स्कूल्स खोलीं। आपको किसने मना किया था? कभी शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम किया नहीं। भ्रष्टाचार किया।

श्री अध्यक्ष: आसन को संबोधित कीजिए।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): भ्रष्टाचार करने वाले आज यहां पर खड़े होकर बोलते हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप यहां पर किस विषय को लेकर बैठे हो। आपको पूरे देश ने नकार किया, राजस्थान ने नकार दिया, पंचायत ने नकार दिया और नगरपालिका ने भी नकार दिया, फिर भी आप यहां शिक्षा जैसे मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे। आपको इस पर चर्चा करनी चाहिए, बिल पर बहस करनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप समय रहते नहीं चेते तो जनता आपको अपने-अपने क्षेत्र में घुसने नहीं देगी। यह आप देखते जाओ। मैं इस समय यही कहूंगा, आपको इस समय सार्थक बहस करनी चाहिए। साथ ही मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा। बिल को जन मत जानने हेतु परिचालित करने का जो मैंने प्रस्ताव दिया है, उसको मैं वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री मानिक चन्द सुराना। (अनुपस्थित)

श्री रमेश। (अनुपस्थित) श्री बंशीधर।

श्री बंशीधर (खण्डेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर जो ये कांग्रेसी चिल्ला रहे हैं, इनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में इन्होंने ऐसा अध्यक्ष बनाया जो पूरी शिक्षा के ऊपर कालिख पोत कर चला गया। उसके खिलाफ कई केस चल रहे हैं, वह खुद चोर है। वह सब इनके सामने है।

हमारी माननीय यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने सुराज संकल्प यात्रा के दौरान कहा था कि मास्टरों को हम चार-चार परीक्षा नहीं, एक ही परीक्षा दिलवाएंगे। एक परीक्षा दिलवाने के लिए ही आज विधेयक पास हो रहा है। कांग्रेस सरकार किसी को भी नौकरी नहीं देना चाह रही थी। एक परीक्षा में पास होगा, दूसरी परीक्षा में पास होगा, फिर तीसरी परीक्षा में पास होगा, इस प्रकार चार-चार परीक्षाएं लगा रखी थीं। हमारी सरकार ने पढ़ाई में ध्यान देकर ऐसा काम किया है जो आगे पढ़ाने वाले अध्यापक मिलें। इस प्रकार से अब एक ही परीक्षा देनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे जन मत जानने हेतु परिचालित करने के प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के लिए जो संशोधन श्री जोगा राम पटेल, श्री पब्बा राम, श्री मान सिंह, मास्टर मामन सिंह यादव, श्री कैलाश चौधरी और श्री बंशीधर ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रश्न यह है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया। (व्यवधान)

बड़ी कृपा करिए आप। शांति से रहिए। माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, इन्हें बुला लीजिए। ये थक गये, इनको बुला लो उधर।

खण्डश: विचार

(श्री अध्यक्ष)

खण्ड 2 और 3, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 और 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री वासुदेव देवनानी।

विधेयक का पारण

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा अच्छी हो, योग्य और अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति हो, इसके लिए समय-समय पर सरकारों ने प्रयत्न किया है। परीक्षा ऐसी एजेंसी से करायी जाए जो कभी लिटिगेशन में नहीं आ सके। मुझे कहते हुए पीड़ा होती है कि कांग्रेस की कभी भी नियुक्तियों में रुचि नहीं रही। युवाओं के साथ अन्याय करती रही। 1998 से 2003 तक ये एक भी अध्यापक की नियुक्ति नहीं कर पाये। जब हम लोग 2003 में आये तब इनके समय के 576 लिटिगेशन केसेज का निस्तारण हमने किया और हमने एक लाख अध्यापकों को नियुक्ति दी। उसके पश्चात् जब इनकी सरकार आयी, उस दौरान योग्य अध्यापक आ सकें, इसके लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने इनको कहा कि आप परीक्षा लें, योग्यता की परीक्षा लेनी थी। लेकिन इनकी मंशा साफ नहीं थी। यह कहीं नहीं लिखा कि दो परीक्षा ली जाएं। इन्होंने युवकों के साथ अन्याय किया। दो-दो परीक्षाएं लेने का प्रावधान किया। कभी लेवल 1, कभी लेवल 2, कभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कभी जिला परिषद, इस तरह हमारे युवाओं के साथ अन्याय किया और ये एक को भी नियुक्ति नहीं दे पाये। हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सुराज संकल्प यात्रा में भी घोषणा की थी कि हम एक ही परीक्षा करवाएंगे। उसको साकार करने के लिए हमने एक

(श्री वासुदेव देवनानी)

रीट के नाम से परीक्षा करवाने की घोषणा की है। रीट की परीक्षा किससे करवायी जाए? इन्होंने 04 मार्च, 2011 को एक प्रशासनिक आदेश निकाला, उसमें केवल बोर्ड को अधिकृत किया। बोर्ड की धारा 9 में कहीं भी प्रावधान नहीं है कि बोर्ड यह परीक्षा करवा सकता है। आये दिन मामला लिटिगेशन में चला जाता है तो सारी नियुक्तियां नहीं हो सकती हैं। इसलिए हमारी सरकार लिटिगेशन से बचने के लिए और साफ सुथरी नियुक्तियां करने के लिए इसमें संशोधन लायी है। बोर्ड चूंकि 1957 से एक संवैधानिक बाडी है, उसके आधार पर परीक्षा करवाने के लिए हम लोग उनको अधिकृत कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार का अन्याय नहीं हो। एक महीने के अन्दर रीट की परीक्षा की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी।

हम लगभग 30 हजार अध्यापकों की नियुक्ति करने जा रहे हैं। 30 हजार नये युवकों को इस प्रकार से रोजगार भी मिलेगा और वे लोग ... (व्यवधान) और साथ में...

एक माननीय सदस्य: ये नहीं चाहते हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): ये नहीं चाहते थे। (व्यवधान) हम लोग परीक्षा कर रहे हैं। कर रहे हैं, कुछ तो समझो। अच्छा होता कि आप लोग बहस में भाग लेते। नवयुवकों के रोजगार के लिए तो एक हो जाओ। शर्म आनी चाहिए जो नवयुवकों के साथ अन्याय किया, 1998 से एक को भी नियुक्ति नहीं दे पाये। अब तो कोई शर्म करो।

(कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार नारेबाजी)

मेरी आपसे अपील है कि अब माननीय वसुन्धरा राजे के नेतृत्व में हम युवकों को रोजगार देने के लिए जा रहे हैं और उसमें भी हमने व्यवस्था की है कि किसी प्रकार का लिटिगेशन नहीं हो...

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छे। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): इसी तरह से आरटेट में, जो परीक्षा देना चाहेंगे वो दे सकेंगे जो नहीं देना चाहेंगे उनके वो ही नम्बर जुड़ेंगे, हमने सारी व्यवस्था की है। सिलेबस एन.सी.ई.आर.टी. के अनुसार होगा और उसके अन्दर राजस्थान के बच्चों के हितों का संरक्षण होगा। उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं आने देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया जाय।

(कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार नारेबाजी)

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया गया।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 18 सितम्बर, 2015 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.32 बजे, शुक्रवार, 18 सितम्बर, 2015 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोतर

महेन्द्रा सेज में सुविधा क्षेत्र का भू-उपयोग परिवर्तन

2. श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) व **श्री रमेश** (सपोटरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा एवं रीको के बीच 4 जुलाई, 2005 को जयपुर-अजमेर हाइवे पर 3000 एकड जमीन पर सेज विकसित करने का कोई एमओयू हुआ था? यदि हां, तो उक्त एमओयू की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) महिन्द्रा सेज में नो प्रोसेसिंग एरिया की 1000 एकड़ जमीन में से 500 एकड़ जमीन का लैण्डयूज बदलकर उद्योगों को देने के क्या कारण हैं व किस आधार पर लैण्डयूज बदला गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि एमओयू के अनुसार सामाजिक सरोकार के तहत सेज क्षेत्र में जो जमीन सस्ते आवास, सुविधायें, सड़क, पार्क व अस्पताल के लिए रिजर्व रखी गई थी, का भी औद्योगिक इस्तेमाल के लिए लैण्डयूज चेंज कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच कराने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त भूमि की वर्तमान बाजार दर क्या है? इस भूमि के अतिरिक्त और कितनी भूमि अभी महिन्द्रा सेज में खाली पड़ी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि एमओयू के अनुसार डेढ़ लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाना था? यदि हां, तो अब तक कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया तथा कम रोजगार उपलब्ध करवाने वालों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि महिन्द्रा कम्पनी सेज की स्थापना के 10 वर्षों के बाद भी एम.ओ.यू. की शर्तों के अनुसार उद्योगों की स्थापना एवं रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकी है? यदि हां, तो सरकार द्वारा कम्पनी के विरुद्ध एम.ओ.यू. की शर्तों को पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण हैं?

(7) क्या यह सही है कि एमओयू के केबिनेट नोट को वित्त और विधि विभाग से अनुमोदित नहीं करवाया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। रीको (राज्य सरकार की एजेन्सी के रूप में) एवं महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि. के बीच में परियोजना जिसमें सेज, औद्योगिक क्षेत्र (डीटीए) एवं अन्य वाणिज्यक एवं आवासीय सुविधाऐं विकसित करने बाबत समझौता हुआ था। एम.ओ.यू. की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। राज्य में नान प्रोसेसिंग एरिया की 1000 एकड़ भूमि में से 500 एकड़ भूमि डोमेस्टिक टेरिफ एरिया को देने के लिए लैण्डी यूज नहीं बदला है। राज्य सरकार ने वर्ष 2006 में महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा की परियोजना में ग्रामीण क्षेत्र से औद्योगिक स्पेशल इकोनोमिक जोन में अनुमत अन्यी उपयोग एवं मिश्रित भू-उपयोग की स्वीकृति दे दी थी। आदेश की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। नान प्रोसेसिंग एरिया में से 500 एकड़ भूमि डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में देने का कारण मूलत: परियोजना की मूल भावना के अनुरूप है जो निवेश को आकर्षित करना निर्यातोन्मुखी इकाईयां स्थापित करना एवं उनके माध्यम से रोजगार सृजन के साथ-साथ आर्थिक विकास को सुदृढ़ करना थी। वर्तमान में सेज में मन्दीन है। डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में उद्योगों का रूझान है जिसके दृष्टिगत सरकार नान प्रोसेसिंग एरिया जिसमें रेजिडेन्शियल कामर्शियल आदि होते हैं उसकी एवज में डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में एरिया बढ़ाया जिससे यहां पर ज्यादा उद्योग लग सकें एवं रोजगार बढ़े।

(3) एमओयू के अनुसार यहां पर एक इंटीग्रेटेड पार्क विकसित करना प्रस्तावित था जिसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) औद्योगिक क्षेत्र (डीटीए) एवं अन्य, आवासीय एवं वाणिज्यिक क्षेत्र बनाये जाने थे। यह परियोजना 3000 एकड़ जमीन पर स्थापित की जानी थी। इस परियोजना में सस्ते आवास, सुविधाऐं, सड़क, पार्क, अस्पताल के लिए कोई जमीन रिजर्व नहीं रखी गई थी। यहां पर राज्य सरकार ने जमीन का कोई लैण्ड यूज चेंज नहीं किया है अपितु वर्ष 2006 में ही इस परियोजना की जमीन के मिश्रित भू उपयोग की अनुमति राज्य सरकार ने दे दी थी आदेश की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। उल्लेखनीय है कि अभी भी इस परियोजना में 446 एकड़ भूमि पर सामाजिक संरचना सुविधायें विकसित करने का प्रावधान है।

(4) वर्तमान बाजार दर की सूचना रीको के पास उपलब्ध नहीं है।

इस भूमि के अतिरिक्त 1472.84 एकड़ भूमि एसईजैड के लिए अधिसूचित है। जिसमें 663.33 एकड़ सेलेबल भूमि खाली है साथ ही डीटीए की 500 एकड़ भूमि में से 53.06 एकड़ सेलेबल भूमि खाली है।

(उद्योग मंत्री)

(5) जी नहीं। एमओयू में रोजगार के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। वर्तमान में इस परियोजना में 10,022 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो रहा है।

(6) जी नहीं। एमओयू में रोजगार के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। एम.ओ.यू. की शर्तों के अनुसार कम्पनी को (कम्पनी के गठन से) भारत सरकार से स्वीकृति लेकर 2 वर्ष के अन्दर एस.ई.जेड. स्थापित करना था तथा कम्पनी के गठन से तीन वर्ष के अन्दर इसे आपरेशनल करना था। कम्पनी ने भारत सरकार से एस.ई.जेड की स्वीकृतियां लेकर सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग एवं हैण्डीक्राफ्ट एस.ई.जेड स्थापित कर इसे कार्यरत कर दिया है। वर्ष 2014-15 में यहां से 1119.24 करोड़ रु. का निर्यात हुआ है एवं करीब 10,022 व्यक्तियों को रोजगार मिला है। एम.ओ.यू. की दूसरी शर्त के अनुसार इस परियोजना के पूर्ण रूप से स्थापित होने पर 14000 करोड़ रु. का निवेश अपेक्षित था। इस परियोजना द्वारा 2432 करोड़ रु. का निवेश अभी तक आकर्षित किया जा चुका है। परियोजना के क्रियान्वयन में भूमि अवाप्ति सम्बन्धित रूकावटों के कारण देरी हुई है। परियोजना का क्रियान्वयन जारी है।

(7) राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त सहायता/अनुदान अपेक्षित नही होने एवं इस विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना निजी विकासकर्ता महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्वारा केन्द्रीय अधिनियम 2005 के तहत किये जाने के कारण इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग की राय की आवश्यकता नहीं थी। प्रस्ताव का विधि विभाग से सम्बन्ध नहीं होने के कारण विधि विभाग से राय प्राप्त करना अपेक्षित नहीं था।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में आबंटित राशि

3. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की क्रियान्विति में प्रदेश में वर्ष 2015-16 तक कितनी जनसंख्या के गांवों को इस सड़क योजना से जोड़ना प्रस्तावित था और इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है?

(2) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रदेश में 4,104 कि.मी. की लम्बाई वाली 1406 ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो इस हेतु केन्द्र सरकार ने कितनी राशि राज्य सरकार

(श्री जोगाराम पटेल)

को आबंटित की और उसके बदले राज्य सरकार द्वारा अब तक कितने किमी सड़कों का निर्माण कराया गया?

(3) क्या यह भी सही है कि केन्द्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2014-15 में जो राशि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत स्वीकृत की थी, उक्त पूरी राशि राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है? यदि हां, तो इस वर्ष के लिए कुल कितनी राशि इस योजना हेतु आबंटित हुई थी और इसके बदले कितनी राशि अब तक प्राप्त हुई है? शेष राशि प्रास् करने हेतु सरकार द्वारा कब-कब व क्या प्रयास किये गये?

उत्तर

(1) केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की क्रियान्विति के दिशानिर्देशानुसार प्रदेश में वर्ष 2015-16 तक जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 500 व उससे अधिक एवं जनजाति व मरुस्थल क्षेत्र में 250 व उससे अधिक आबादी की एकल/समूह ढाणियों की डामर सड़क से जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया था। प्रदेश में वर्ष 2010 तक 10863 पात्रता रखने वाले स्वीकृत राजस्व गांवों के विरुद्ध 10724 राजस्व गांवों को डामर सड़क से जोड़ा गया तथा वर्ष 2010 के पश्चात् पात्रता रखने वाली 5749 बसावटों के विरुद्ध 3767 बसावटों के प्रस्ताव स्वीकृत होकर 2996 बसावटों को जोड़ा जा चुका है तथा 349 से 250 की आबादी के 1445 बसावटों के, जिनकी कुल लागत 1597.33 करोड़ के तहत 4226.20 कि.मी. सड़क निर्माण के प्रस्ताव तैयार कर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की प्री-एम्पावर्ड कमेटी में दिनांक 28.11.2014 को सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा एम्पावर्ड कमेटी की स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

(2) जी नहीं। वित्तीय वर्ष 2015-16 में 262.57 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की है जिसके अनुसार माह अगस्त 2015 तक लगभग 320.96 करोड़ व्यय कर 1674.44 कि.मी. डामर सड़क का निर्माण किया जाकर 574 ढाणियों को जोड़ा जा चुका है।

(3) वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत रुपये 950 करोड़ स्वीकृत लक्ष्य के तहत 485.49 करोड़ राशि का आबंटन किया गया जिसके विरुद्ध 649.55 करोड़ रुपये व्यय किये गये। वर्ष 2015-16 में रु. 960 करोड़ स्वीकृत लक्ष्य के तहत रुपये 350.09 करोड़ का आबंटन रखा गया है जिसके विरुद्ध रुपये 262.57 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है एवं राशि प्राप्त करने

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

हेतु विभाग की ओर से केन्द्र सरकार को वर्ष 2014-15 व 2015-16 में लिखे गये पत्रों की प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

जमवारामगढ़ में शौचालय निर्माण की बकाया राशि का भुगतान

4. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में गत दो वर्षों में कितने-कितने शौचालयों का निर्माण हो चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र की किस-किस ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण पूरा होने के बाद भी उसका निर्माणकर्ता को भुगतान अभी तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की उक्त ग्राम पंचायतों को शौचालय निर्माण के भुगतान की राशि शीघ्र जारी किए जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की ग्राम पंचायतों में गत दो वर्षों में निर्मित शौचालयों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र की जिन ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन योजना में निर्मित शौचालयों की यूसी/सीसी मय फोटो के प्राप्त हो चुकी है, उनकी भुगतान राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तान्तारित करवा दी गई है। पंचायत समिति स्तर पर भुगतान से सम्बन्धित कोई प्रकरण बकाया नहीं है।

(3) जी हां। शौचालय निर्माण एवं उसके उपयोग की सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होते ही प्रोत्साहन राशि का भुगतान लाभार्थी के बैंक खाते में किये जाने का प्रावधान है, तद्‌नुसार कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट-अ

कार्यालय जिला परिषद्, जयपुर
स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत ग्राम पंचायतवार निर्मित
शौचालयों की वर्षवार सूचना

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	वर्ष 2013-14	वर्ष 14-15	योग
1	2	3	4	5
1	आंधी	28	445	473
2	बासना	16	62	78
3	बहलोड	7	35	42
4	भानपुरकलां	19	55	77
5	भावनी	66	96	162
6	बिलोद	15	13	28
7	बिरासना	31	162	193
8	बोबाड़ी	31	59	90
9	बूज	10	57	67
10	चावण्डिया	28	65	93
11	डांगरवाड़ा	49	70	119
12	धानस्या	16	21	37
13	धौला	31	268	299
14	धूलारावजी	40	79	119
15	फुटोलाव	27	55	82
16	गठवाडी	12	45	57
17	इन्द्रगढ़	8	25	33
18	जयचन्दपुरा	42	57	99
19	जमवारामगढ़	24	169	193
20	खरकड़ा	16	100	116
21	खवारानीजी	49	136	185

1	2	3	4	5
22	लालवास	41	47	88
23	लांगड़ियावास	30	55	85
24	मंहगी	17	30	53
25	मानोता	16	14	30
26	माथासूला	47	52	99
27	नायला	56	48	104
28	नटाटा	43	23	66
29	नीमला	34	26	60
30	नेवर	16	26	42
31	पापड़	28	13	41
32	राहौरी	76	62	138
33	रायपुर	30	194	224
34	रायसर	52	77	129
35	राज. ताला	37	166	203
36	रूपवास	32	16	48
37	सायपुरा	61	32	93
38	सामरेडकलां	78	41	119
39	सानकोटड़ा	9	42	51
40	ताला	56	210	266
41	थली	62	41	103
42	थौलाई	13	147	160
43	टोडामीणा	14	13	27
44	राम्यावाला	0	0	0
45	लाली	0	6	6

1	2	3	4	5
46	केला का बास	0	0	0
47	भुरानपुरा	0	8	8
48	नांगल तुलसीदास	0	0	0
49	साईवाड	0	0	0
	योग	**1413**	**3472**	**4885**

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, जयपुर

बड़ी सादड़ी में हैण्डपम्प मिस्त्री के रिक्त पद

5. **श्री गोतम कुमार** (बड़ी सादड़ी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में वर्तमान में कितने हैण्डपम्प लगे हुए हैं? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में हैण्डपम्प मिस्त्री के कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पद रिक्त हैं? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में विभिन्न ग्रामीण पेयजल योजनाओं में कुल 4616 हैण्डपम्प स्थापित हैं जिसमें से 3965 हैण्डपम्प वर्तमान में क्रियाशील हैं। ग्राम पंचायतवार स्थापित हैण्डपम्पों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) से प्राप्त सूचना के अनुसार विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी की 4 पंचायत समितियों क्रमशः डूंगला, भदेसर, बड़ी सादड़ी एवं प्रतापगढ़ में हैण्डपम्प मिस्त्रियों के कुल स्वीकृत 40 पदों में से 9 पद वर्तमान में रिक्त हैं। ग्राम पंचायतवार स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) हैण्डपम्प मिस्त्रियों की सेवाओं से सम्बन्धित नियमों में सीधी भर्ती का प्रावधान नहीं होने के कारण रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव नहीं है।

राज्य में दिनांक 01.04.2015 से प्रगतिरत 39वें हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में मरम्मत योग्य खराब

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

पाये हैण्डपम्पों की मरम्मत एवं पेयजल योजनाओं के संधारण हेतु दिनांक 31.08.2015 तक 11 अतिरिक्त श्रमिक एवं दिनांक 01.09.2015 से 15.09.2015 तक 8 अतिरिक्त श्रमिक लगाये जाकर कार्य कराया गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नारायणपुर को तहसील बनाने की कार्य योजना

6. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में वर्तमान में ऐसी कितनी उप तहसील हैं, जिन्हें तहसील बनाने की मांग आमजन द्वारा बार-बार सरकार से की जा रही है? सरकार उक्त में से कितनी उप तहसीलों को तहसील बनाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने के क्या नियम एवं मानदंड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिला अलवर की थानागाजी तहसील की उप तहसील नारायणपुर कस्बा जो तहसील बनने के सभी नियम एवं शर्तों को पूरा करता है यदि हां, तो नारायणपुर को उप तहसील से तहसील में क्रमोन्नत नहीं करने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उप तहसील नारायणपुर को तहसील में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्तमान में ऐसी 33 उपतहसीलें हैं, जिन्हें तहसील बनाने की मांग जनप्रतिनिधियों/आमजन द्वारा की जा रही है। विवरण (परिशिष्ट-अ पर) संलग्न है।

राज्य में नवीन जिला गठन के लिए राज्य सरकार को सुझाव देने हेतु डा. परमेश चन्द्र, सेवानिवृत्त आईएएस की अध्यक्षता में पुर्नगठित उच्च स्तरीय समिति में प्रशासनिक आवश्यकता के मध्य तहसीलों व पंचायत समितियों को सह सीमान्त अधिकार क्षेत्र कर पुनर्गठन/सृजन के प्रकरण/प्रस्तावों का परीक्षण किया जा रहा है। उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट/अनुशंसा/सुझाव प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक एवं जनहित में उचित निर्णय लिया जा सकेगा।

(राजस्व राज्य मंत्री)

(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 15, सन् 1956) की धारा 15 एवं 16 (परिशिष्ट-ब) तथा उपतहसील/तहसील गठन हेतु निर्धारित मापदण्ड की प्रति (परिशिष्ट-स पर) संलग्न है।

(3) जी नहीं। जिला अलवर की तहसील थानागाजी की उपतहसील नारायणपुर को तहसील बनाने के प्रस्ताव में 4 भू अभिलेख निरीक्षक वृतों के 16 पटवार मण्डलों को सम्मिलित किया जा सकता है, जो तहसील गठन हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नहीं है।

(4) प्रस्ताव निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नहीं होने के कारण वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपतहसील नारायणपुर को तहसील में क्रमोन्नत किया जाना सम्भव नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार देने की योजना

7. **डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में 25 हजार बेरोजगारों को प्रतिमाह एवं कुल 15 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कब?

(2) प्रदेश में गत 20 माह में सरकार के समस्त विभागों में कुल कितने राज्यकर्मी सेवानिवृत्त हुए एवं कुल कितने पद समाप्त किये गये? विभागवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा गत 20 माह में प्रदेश में कुल कितने बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। बजट घोषणा 2014-15 के बिन्दु संख्या 135 में 5 वर्ष में लगभग 15 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने की घोषणा की गई थी। इसके अन्तर्गत आगामी 4 वर्षों में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा लगभग 6 लाख युवाओं को रोजगार हेतु कौशल विकास से जोड़ा जायेगा। आई.टी.आई. पालिटेक्निक, राजस्थान आजीविका योजना, स्वयं सहायता समूह तथा उद्योगों की भागीदारी से किये जाने वाले प्रशिक्षण के माध्यम से लगभग 9 लाख युवाओं को जोड़ेगे।

(श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री)

(2) प्रदेश में दिनांक 1/1/2014 से 31/8/2015 तक गत 20 माह में विभागों में संलग्न सूची के अनुसार कुल 18679 राज्यकर्मी सेवानिवृत्त हुये हैं एवं कुल 5111 पद समाप्त किये गये। विभागवार सूची परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(3) दिनांक 1/1/2014 से 31/8/2015 तक गत 20 माह में प्रदेश में कुल 20790 बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया गया। विभागवार सूची परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में गौवंश को बचाने की कार्य योजना

8. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार प्रदेश में गौवंश को बचाने हेतु कोई नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश से गौवंश की निकासी/तस्करी को रोकने का नियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रदेश से गौवंश की तस्करी रोकने हेतु राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध तथा अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 व राजस्था न गौ गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध तथा अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) नियम 1996 (संलग्न परिशिष्ट-अ) प्रभावी है। इन्हें और अधिक प्रभावी और सख्त बनाने हेतु आवश्यक संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

बाड़मेर आगार में यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने की कार्य योजना

9. श्री कैलाश चौधरी (बायतू) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री कैलाश चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अधिकांश आगार वर्तमान में घाटे में चल रहे हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सरकारी बसों की संख्या प्राईवेट (निजी) ट्रेवल्स एजेंसियों से अधिक है?

(3) बाड़मेर आगार गत पांच वर्षों से मुनाफे में चल रहा है या घाटे में? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) गत पांच वर्षों में बाड़मेर आगार द्वारा यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु नई बसों की खरीददारी करने सहित बसों के प्रबंधन पर और अन्य सभी मदों में कितना-कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) गत पांच वर्षों में बाड़मेर आगार में कितनी बसों की खरीददारी की गई है तथा प्रत्येक बस पर कितनी लागत आयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) सरकार द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को घाटे से उबारने के क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में डीलक्स आगार के अतिरिक्त राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सभी आगार घाटे में चल रहे हैं।

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों की कुल संख्या 4336 है। निगम द्वारा राष्ट्रीय मार्गों पर संचालित 300 मिडी बसें उक्त में सम्मिलित हैं तथा 200 मिडी बसें जो ग्रामीण सेवा के मार्गों पर संचालित हैं उक्त में सम्मिलित नहीं हैं।

माह जुलाई 2015 तक संकलित सूचना के अनुसार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों को 6696 स्टेज कैरिज परमिट जारी किए गए हैं जबकि 41121 निजी बसों को स्टेज कैरिज परमिट तथा 5710 निजी बसों को कान्ट्रेक्ट कैरिज परमिट जारी किए गए हैं। इससे स्पष्ट है कि निगम की तुलना में निजी बसों की संख्या अधिक है।

(3) गत पांच वर्षों से बाड़मेर आगार घाटे में चल रहा है। वर्षवार घाटे का विवरण निम्नानुसार है :-

(परिवहन मंत्री)

वितीय वर्ष	घाटा (लाख रुपये में)
2010-11	646.64
2011-12	528.96
2012-13	463.01
2013-14	735.58
2014-15	727.12

(4) गत पांच वर्षों में बाड़मेर आगार में यात्री सुविधाओं, नई बसों की खरीद एवं लाभ-हानि से सम्बन्धित मदवार किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(5) बाड़मेर आगार हेतु खरीदी गई बसों एवं उन पर किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट "1" में अंकित है।

(6) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के स्तर पर घाटे से उबारने हेतु किये जा रहे प्रयासों का विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

राज्य सरकार द्वारा बजट प्रावधान 2015-16 में Refrom Linked Assistance कार्यक्रम के तहत निगम के लिये 120.00 करोड़ रुपये अनुदान एवं Rajasthan State Bus Terminal Authority को उपलब्ध कराये जाने वाली भूमि एवं संसाधनों हेतु रुपये निगम को 300.00 करोड़ रुपये दिये जाने का प्रावधान किया हुआ है ।

राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधी से 10.00 करोड़ रुपये 2014-15 की संचालन हानि के विरुद्ध अनुदान, 20.00 करोड़ रुपये 2014-15 एवं 2015-16 के लिये हाईटेक बसें खरीदने हेतु दिये गये हैं तथा 50.00 करोड़ रुपये संचालन व्यय की पूर्ति हेतु एकबारीय ब्याज मुक्त 5 वर्ष के मोरेटोरियम पीरियड पर ऋण के रूप में सितम्बर 2015 में राजस्थान परिवहन निगम को दिये गये हैं।

परिशिष्ट-1

गत पांच वर्षों में बाड़मेर आगार में यात्रा सुविधाओं, नई बसों की खरीद एवं लाभ-हानि से सम्बन्धित मदवार किये गये व्यय का विवरण

1. बाड़मेर आगार में निर्माण कार्यों पर बजट मद 34 मूल निर्माण के तहत निम्न प्रकार से व्यय किया गया है:—

वर्ष	व्यय राशि रुपयों में
20012-13	403349.00
2013-14	348813.00

इसके अतिरिक्त निर्माण कार्यों पर कोई व्यय नहीं किया गया है।

2. गत पांच वर्षों में बाड़मेर आगार के लिए नई बसों की खरीद पर किये गये व्यय का विवरण :—

वर्ष	वाहनों की संख्या (सुपर एक्सप्रेस)	दर प्रति वाहन	कुल व्यय राशि
2010-11	22	12,60,844	2,77,38,568
2011-12	शून्य	0	0
2012-13	7	15,14,086	1,05,98,602
2013-14	14 19 (मिडी वाहनें)	15,86,192 10,86,250	2,22,06,688 2,06,38,750
2014-15	शून्य	0	शून्य

3. लाभ/हानि से सम्बन्धित बाड़मेर आगार का मदवार व्यय (राशि लाख रुपये में)

S. No.	PARTICULARS	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6	7
1	Diesel	951.99	1125.60	955.86	1069.07	1173.48
2	Oil & Lubricant	10.66	17.66	15.89	14.50	13.12
3	Tyre Tube Flaps	72.72	98.00	80.80	68.88	72.11
4	Spare Parts Batteries	20.28	24.48	26.10	24.12	22.29
5	Reconditioning	86.2	96.05	83.71	67.66	66.38

1	2	3	4	5	6	7
6	SRT	143.22	169.01	214.33	224.91	213.22
7	Inter State Tax	28.47	20.67	26.14	25.17	25.61
8	Payment Hired Buses	128.04	132.20	378.00	355.62	299.29
9	Total Estt. Cost	938.95	1037.96	972.72	1095.23	1291.75
10	Depreciation	14.38	60.61	71.22	89.68	124.18
11	Insurance	40.16	40.09	36.84	34.84	41.36
12	Vehicle Tax	6.88	7.88	7.71	9.23	9.08
13	General & Others	39.2	46.85	47.49	49.13	51.18
14	Interest	56.44	107.76	117.79	107.28	171.38
15	HO Overhead	177.98	192.11	183.37	189.49	161.83
	Total Cost	**2844.99**	**3176.93**	**3217.97**	**3427.81**	**3736.26**

परिशिष्ट-2

निगम को हानि से उबारने हेतु किये जा रहे प्रयास

निगम को हो रही हानि से उबारने के लिए निगम स्तर पर निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं :—

1)	कम्प्यूटराईजेशन—निगम द्वारा नि:शुल्क एवं रियायती यात्रा हेतु अधिकृत यात्रियों के लिए RFID तकनीक पर आधारित स्मार्ट कार्ड योजना को लागू कर दिया गया है। जिसके लिये अधिकृत स्थानों से पंजीयन करवाकर स्मार्ट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
2)	गैर संचालन आय में वृद्धि-गैर संचालन आय में वृद्धि निगम के विभिन्न बस स्टैण्ड/कार्यालयों/कार्यशालाओं में उपलब्ध भूमि एवं भवन को कैन्टीन, गेस्ट हाउस, बैंक, एटीएम हेतु लीज पर देकर तथा निगम बसों, बस स्टैण्डों पर विभिन्न प्रकार के विज्ञापन एवं पार्सल सेवा से गैर संचालन आय में अधिकाधिक वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं।

3)	आनलाइन आरक्षण व्यवस्था– यात्रियों को अधिकाधिक निगम सेवाओं के लिये टिकिट प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने व निगम राजस्व वृद्धि हेतु आनलाइन आरक्षण व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है साथ ही परिचालकों द्वारा ईटीआईएम मशीन के माध्यम से टिकिट जारी करने से राजस्व रिसाव में कमी के प्रयास किये गये हैं।
4)	जीपीएस व व्हीकल ट्रेकिंग प्रणाली– निगम की 2382 लम्बी दूरी की वाहनों (Interstate Services) में फर्म द्वारा वी.टी.एस. डिवाइस, वाहन सूचना प्रणाली, फयूल सेन्सर एवं बसों के भीतर वैब कैमरा लगाये का कार्य प्रगति पर है। 275 बसों में लगा भी दिये गये हैं।
5)	पड़ौसी राज्यों से करार– विभिन्न पड़ौसी राज्यों यथा उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, चण्डीगढ़, गुजरात, पंजाब से नवीन परिवहन करार के प्रयास कर संचालित किलोमीटर्स में वृद्धि तथा विभिन्न राज्यों के प्रमुख शहर एवं धार्मिक एवं वाणिज्यिक स्थानों के लिए सुपर लग्जरी बसों का संचालन प्रारम्भ किया जाकर राजस्व वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं।
6)	प्रशिक्षण संस्थान– निगम द्वारा केन्द्रीय कार्यशाला, अजमेर में 58101 वर्गमीटर क्षेत्रफल में 14 करोड़ रु. की लागत से सड़क सुरक्षा व सड़क दुर्घटनाएं, वातावरण व तकनीकी परिवर्तनों को दृष्टिगत बस संचालन में सुधार लाकर जन सुविधायुक्त उच्च गुणवता वाहनों को संचालित कर लाभप्रदत्त में वृद्धि लाने की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पी.पी. माडल पर स्वचालित चालक प्रशिक्षण, होस्टल, Driving Track एवं वाहन फिटनेस संस्थान अजमेर में M/s IL&FS Education & Technology Service Limited द्वारा निर्माण किया जाकर प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जा चुका है।
7)	ग्राम पंचायतों को जोड़ना– राज्य की ग्राम पंचायतों को तहसील एवं तहसील से जिला मुख्यालय तक सीधी बस सेवा से जोड़े जाने के उद्देश्य में विभिन्न आगार क्षेत्रों में निगम/पीपीपी मोड पर ग्रामीण परिवहन सेवाओं का संचालन किया जा रहा है।
8)	यात्री प्रोत्साहन योजना– निगम बसों में अधिकाधिक यात्रा करने हेतु विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं यथा वापसी टिकिट में रियायत, मासिक पास में 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है।

9)	अनुबंधित बसें नकारा वाहनों के पुनर्स्थापन हेतु नई वाहनों की खरीद के वित्तीय भार को कम करने के उद्देश्य से अधिकाधिक संख्या में निजी वाहनें अनुबंध पर लेने के प्रयास किये जा रहे हैं।
10)	नई समय सारिणी–यात्रियों को अधिकाधिक सुविधा की दृष्टि से नई शीतकालीन समय सारिणी को लागू किया जा चुका है।

पंचायत चुनावों में फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर कार्यवाही

10. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि प्रदेश में पंचायती राज चुनावों में अनेक उम्मीदवारों के आवेदनों के साथ फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं? यदि हाँ, तो मय सूची उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। पंचायत आम चुनाव 2015 में अनेक उम्मीदवारों के द्वारा आवेदनों के साथ फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर चुनाव जीतने की शिकायतें प्राप्त होने पर उन पर की गई कार्यवाही विवरण मय सूची जिलेवार परिशिष्ट- 1 पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

बजट से अधिक राशि व्यय करने पर अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही

11. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विभाग में विभिन्न स्तरों पर अभियन्ताओं को फील्ड में आकस्मिक व गर्मी के समय में बजट से अधिक राशि व्यय करने पर निलम्बित किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त व्यय में फील्ड तथा गर्मी के मौसम में पानी की जरूरतों की पूर्ति हेतु उच्च स्तर की सहमति के उपरान्त भी व्यय के लिये केवल फील्ड अभियन्ताओं को ही दोषी क्यों बनाया जा रहा है। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार निलम्बित उक्त अभियन्ताओं को बहाल कर पुन: पदस्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? निलम्बित अभियन्ताओं की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) बजट खर्च में फील्ड की जरूरतों तथा गर्मी के मौसम में पानी की जरूरतों की पूर्ति हेतु खर्च पर फील्ड अभियन्ताओं को दोषी नहीं बनाया जा रहा है।

(3) जी हां। निम्न वर्णित निलम्बित अभियन्ताओं को पुन: पदस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सक्षम स्तर पर नियमानुसार विचार किया जायेगा:-

1. श्री राजेश कुमार मीणा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, खण्ड दौसा 2. श्री अरविन्द कुमार शर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, खण्ड दौसा 3. श्री मनीष बेनीवाल, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, जिला ग्रामीण खण्ड-प्रथम जयपुर 4. श्री आई.डी. खान, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, जिला वृत्त, जयपुर 5. श्री राजेश कुमार शर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, खण्ड महुआ 6. श्री हजारी लाल मीणा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, खण्ड महुआ 7. श्री आशीष द्विवेदी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, खण्ड जालौर ।

उपखण्ड कार्यालय फुलेरा में रिक्त पद

12. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के उप खण्ड कार्यालय, फुलेरा एवं उक्त कार्यालय के अधीन वर्तमान में किस-किस संवर्ग के कितने-कितने पद कहां-कहां पर स्वीकृत हैं और उनमें से कितने-कितने पद कब से रिक्त है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में स्थित उपखण्ड कार्यालय के अधीन उपखण्ड कार्यालय, फुलेरा एवं सहायक कलक्टर व तहसील कार्यालय में वर्तमान में संवर्गवार स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट-ए पर संलग्न है।

(2) संलग्न सूची में अंकित रिक्त पदों में से पटवारियों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु सीधी भर्ती का आयोजन किये जाने की कार्यवाही जैरकार है। भू-

(राजस्व राज्य मंत्री)

अभिलेख निरीक्षकों के रिक्त पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने हेतु सम्भागीय आयुक्त, जयपुर को निर्देशित किया जा चुका है तथा शेष रिक्त पदों को भरे जाने हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को निर्देशित किया गया है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

नागौर जिले में असंगठित मजदूरों के लम्बित आवेदन पत्र

13. श्री श्रीराम भींचर (मकराना) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजना के माध्यम से लाभान्वित करने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी योजनाएं किन-किन विभागों के माध्यम से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली उक्त योजनाओं में लाभान्वित होने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नागौर जिले में विभिन्न स्तरों व विभागों द्वारा वर्ष 2013-14 व 2014-15 में असंगठित मजदूरों का पंजीयन कर पंजीयन कार्ड वितरण किये गये हैं? यदि हां, तो नगर परिषदों, नगरपालिकाओं, पंचायत समितियों एवं अन्य विभागों द्वारा किये गये पंजीयन का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) नागौर जिले में 31 जुलाई, 2015 तक कितने असंगठित मजदूरों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया गया है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि नागौर जिले में असंगठित मजदूरों के पंजीयन हेतु एवं अन्य योजनाओं में लाभान्वित होने के लिये विभिन्न विभागों में आवेदन लम्बित हैं? यदि हां, तो दिनांक 31 जुलाई, 2015 तक कितने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भवन एवं अन्य संनिर्माण (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत श्रम विभाग के अधीन गठित भवन एवं अन्य

(श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री)

संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान द्वारा प्रदेश के निर्माण क्षेत्र के असंगठित श्रमिकों को लाभान्वित करने की विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

1. कौशल शक्ति योजना-2014
2. हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता योजना
3. शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना
4. मेधावी छात्र/छात्राओं को नकद पुरस्कार योजना
5. प्रसूति सहायता योजना
6. निर्माण श्रमिकों के लिए गम्भीर बीमारियों पर व्यय का पुनर्भरण योजना
7. हिताधिकारी द्वारा निजी आवास के निर्माण हेतु ऋण पर आर्थिक सहायता/अनुदान योजना
8. निर्माण श्रमिक की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना
9. एनपीएस स्वावलम्बन योजना
10. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
11. सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना
12. साईकिल सहायता योजना (योजना वर्तमान में बंद कर दी गई है)

(2) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा संचालित व्यक्तिगत हितलाभ की योजनाओं में हितलाभ प्राप्त करने की पात्रता व शर्तें निर्धारित की गई हैं। हितलाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकृत व शर्तें पूरी करने वाले हिताधिकारी द्वारा योजना का निर्धारित आवेदन पत्र श्रम विभाग के स्थानीय/जिला कार्यालय में वांछित दस्तावेजों सहित निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत किया जा सकता है। सीकर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, करौली, जोधपुर, सवाईमाधोपुर, झुन्झुनूं, अलवर, बाड़मेर तथा बीकानेर के विकास अधिकारियों के कार्यक्षेत्र के हिताधिकारियों के योजनाओं के आवेदन, परिपत्र दिनांक 27-7-2015 द्वारा विकास अधिकारियों को आवेदनों के निस्तारण हेतु अधिकृत किये जाने के क्रम में, सम्बन्धित विकास अधिकारियों के कार्यालयों में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

(3) नागौर जिले में वर्ष 2013-14 व 2014-15 में विभिन्न विभागों का पंजीयन किया गया है जिसका विवरण निम्न है :-

(श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री)

विभाग	2013-14	2014-15
श्रम विभाग	4143	191
विकास अधिकारी	503	1324

(4) नागौर जिले में 2139 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों/हिताधिकारियों को 31.7.15 तक मण्डल की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया है।

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभान्वित श्रमिक
1.	निर्माण श्रमिक की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना	51
2.	हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता योजना	37
3.	शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना	320
4.	प्रसूति सहायता योजना	19
5.	मेधावी छात्र/छात्राओं को नकद पुरस्कार योजना	2
6.	साइकिल सहायता वितरण योजना	1710
	कुल	2139

(5) नागौर जिले में दिनांक 31.7.2015 तक, निर्माण श्रमिकों के पंजीयन हेतु, नागौर पंचायत समिति में 40 आवेदन पत्र लम्बित हैं तथा मण्डल की विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित होने के 213 आवेदन श्रम विभाग के कार्यालय में लम्बित हैं जिनमें सामान्य या दुर्घटना में मृत्यु सहायता योजना के 8, विवाह सहायता योजना के 159, शिक्षा सहायता योजना के 40, प्रसूति सहायता योजना 1, मेधावी छात्र/छात्राओं को नकद पुरस्कार के 4, तथा साइकिल सहायता योजना का 1 प्रकरण शामिल है।

(6) नागौर जिले में दिनांक 31.7.2015 तक लम्बित आवेदनों का निस्तारण शीघ्र कर दिया जाएगा।

टोडाभीम में संचालित कृषि विकास की योजनाएं

14. श्री घनश्याम (टोडाभीम) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री घनश्याम)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में किसानों के लिए फार्म पोण्ड/फव्वारा, बूंद-बूंद सिंचाई, बागवानी एवं अन्य योजनायें चलाई जा रही हैं? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में उक्त योजना से गत एक वर्ष में कितने किसानों को लाभान्वित किया गया? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के उक्त योजनाओं से वंचित किसानों को लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि प्रदेश में किसानों के लिए फार्म पोण्ड/फव्वारा, बूंद-बूंद सिंचाई, बागवानी एवं अन्य योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में लाभान्वित कृषकों की संख्या परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। जो भी कृषक विभिन्न योजनाओं के प्रावधानों के अनुरूप पात्रता रखते हैं वे योजनाओं के तहत लाभान्वित हो सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने पर योजना के दिशा-निर्देशानुसार लाभान्वित किया जा सकता है।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में लाभान्वित कृषकों की संख्या का विवरण

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	योजना का नाम	लाभान्वित कृषकों की सं.
1	टोडाभीम	फार्म पोण्ड	26
2		फव्वारा संयंत्र	5
3		बूंद-बूंद सिंचाई	34
4		बागवानी	64
5		सोलर	14
6		अन्य	1476

प्रदेश में रिसर्जेंट राजस्थान के अन्तर्गत एम.ओ.यू.

15. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2015 में आयोजित रिसर्जेंट राजस्थान के लिए सरकार द्वारा देश और विदेश में रोड-शो के आयोजन किये गए हैं? यदि हां, तो कहां-कहां एवं उसके क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रोड-शो के दौरान देश एवं विदेशों में कितने एमओयू हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2015 में आयोजित होने वाले रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप सम्मिट के लिये सरकार द्वारा देश और विदेश में रोड-शो आयोजित किये गये जिनकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। उक्त रोड-शो में राजस्थान को निवेश हेतु उपयुक्त राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया एवं निवेशकों से राजस्थान में निवेश करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। इसके अतिरिक्त निवेशकों द्वारा भी प्रस्तावित सम्मिट में अपनी भागीदारी देने का आश्वासन दिया गया।

(2) हस्ताक्षरित किये गये सहमति-पत्रों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

खेतड़ी की क्षतिग्रस्त सड़कें

16. श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के ग्राम मेहाड़ा से वाया ग्राम बसई से निजामपुर हरियाणा सीमा को जोड़ने वाली सड़क क्षतिग्रस्त है?

(2) क्या सरकार उक्त सड़क का पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त सड़क के पुनर्निर्माण के लिये सरकार द्वारा अब तक की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के ग्राम मेहाड़ा से वाया ग्राम बसई से निजामपुर हरियाणा सीमा को जोड़ने वाली सड़क वर्तमान में क्षतिग्रस्त है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) मेहाड़ा से बसई हरियाणा राज्य सीमा तक उक्त सड़क की लम्बाई 7 कि.मी. है। इस सड़क के पुनर्निर्माण मय चन्द्रावती नदी पर हाई लेवल ब्रिज निर्माण हेतु अनुमानत: राशि रु. 1856.51 लाख की लागत आयेगी, जो वर्तमान में किसी भी योजनान्तर्गत स्वीकृत नहीं है। भविष्य में इसकी स्वीकृति राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगी।

(3) उक्त सड़क के पुनर्निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा अब तक की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है:-

1. मावण्डा-सिहोड-मेहाड़ा-बसई-निजामपुर (हरियाणा राज्य सीमा तक) सड़क के बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत पुनर्निर्माण हेतु वर्ष 2013-14 में दो बार निविदायें आमंत्रित की गईं, परन्तु किसी भी संवेदक द्वारा निविदा में भाग नहीं लिया गया। प्रश्न में उल्लेखित सड़क इसी सड़क का भाग है। प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।
2. मेहाड़ा से बसई हरियाणा राज्य सीमा तक मय चन्द्रावती नदी पर हाई लेवल ब्रिज के निर्माण हेतु राशि रु. 1856.51 लाख के प्रस्ताव केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा उप सचिव (एन.एच.) सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एसई/एनएच/पीए/सीआरएफ/वी.आई.पी. रेफ/1001/ पी.टी.-VIII/डी-980 दिनांक 01.09.2015 द्वारा केन्द्र सरकार को भिजवाये गये हैं। प्रति परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है। स्वीकृति अपेक्षित है।
3. मावण्डा-सिहोड-मेहाड़ा-निजामपुर हरियाणा सीमा तक सड़क का उन्नयन पी.पी.पी. योजनान्तर्गत भी प्रस्तावित है एवं वर्तमान में साध्यता अध्ययन (फिजिबिलिटी स्टडी) प्रगति पर है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

बसेड़ी में बी.पी.एल. सर्वे से वंचित परिवार

17. श्रीमती रानी सिलौटिया (बसेड़ी) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में बी.पी.एल. सर्वे में कई निर्धन व्यक्ति सर्वे से वंचित रह गये हैं? क्या सरकार पुन: सर्वे कराकर उक्त वंचित परिवारों को बी.पी.एल. में जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में बीपीएल सैन्सस-2002 में पात्र पाये गये समस्त परिवारों को बीपीएल सूची-2002 (ग्रामीण) में सम्मिलित किया गया है।

भारत सरकार के निर्देशानुसार बीपीएल सेन्सस-2002 (ग्रामीण) में पात्र परिवारों को शामिल करने एवं अपात्र परिवारों को सूची से हटाने हेतु द्विस्तरीय अपील का प्रावधान है जिसके अनुसार प्रथम अपील सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं द्वितीय अपील जिला कलक्टर को की जा सकती है। अपील प्रक्रिया द्वारा ही बीपीएल सूची 2002 (ग्रामीण) में पात्र परिवारों को जोड़ा जा सकता है।

प्रत्येक 5 वर्ष में भारत सरकार द्वारा बीपीएल सर्वे करवाया जाता है। इसी क्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य में वर्तमान में सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 के ड्राफ्ट पब्लिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण कर अन्तिम सूची का प्रकाशन किया जा चुका है।

फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ वृहत् पेयजल योजना का लम्बित कार्य

18. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर जिले में फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ वृहत पेयजल परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वितीय स्वीकृति कब जारी की गई? इस सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत विभिन्न फैज का वर्क आर्डर किन-किन फर्म को दिया गया है व फर्मों द्वारा कार्यादेश की पालना में अब तक कितना कार्य कर दिया गया है तथा सम्बन्धित फर्म को विभाग द्वारा कितनी राशि जारी की जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त परियोजनान्तर्गत वर्तमान में जारी कार्य क्या निविदा में उल्लेखित शर्तों व समयावधि के अन्तर्गत ही किया जा रहा है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त परियोजनान्तर्गत किन-किन कम्पनियों/फर्मों के विरुद्ध सरकार द्वारा शास्ति लगाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त योजनान्तर्गत निर्मित किये जा रहे उच्च जलाशयों की सीमेन्टे, कंक्रीट, टेस्टिंग किस एजेंसी द्वारा की जा रही है? क्या टेस्टिंग रिपोर्ट सुरक्षा मानकों के अनुसार सही पाई गई है? यदि नहीं, तो फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(6) उक्त योजना कब तक पूर्ण की जाकर जनता को पेयजल उपलब्ध करवा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला सीकर की तहसील फतेहपुर एवं लक्ष्मणगढ़ के क्रमशः 119 एवं 166 ग्राम, कुल 285 ग्राम एवं 3 शहर क्रमशः फतेहपुर, रामगढ़ एवं लक्ष्मणगढ़ को इंदिरा गांधी नहर के धन्नासर हैडवर्क्स से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ वृहद् पेयजल परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय नीति निर्धारण समिति की 188वीं बैठक दिनांक 24 अगस्त, 2012 द्वारा राशि रुपये 832.00 करोड़ की जारी की गई।

इस परियोजना का क्रियान्वयन कुल 6 पैकेजों के अन्तर्गत किया जा रहा है तथा इनकी अब तक की प्रगति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त पेयजल परियोजना का क्रियान्वयन कुल 6 पैकेजों के अन्तर्गत किया जा रहा है तथा पैकेजवार अनुबंधित फर्मों द्वारा अब तक किये गये कार्य का विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है। इन समस्त पैकेजों के अन्तर्गत दिनांक 31.08.2015 तक अनुबंधित फर्मों को कुल 456.98 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है तथा पैकेजवार भुगतान की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। परियोजना के समस्त 6 पैकेजों का कार्य निविदा में उल्लेखित शर्तों के तहत ही किया जा रहा है।

पैकेज संख्या 1 से 5 तक के कार्य हेतु अनुबंधित फर्मों द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण इन पैकेजों के कार्यों को पूर्ण करने हेतु अंतरिम समयावधि बढ़ाई गई है। पैकेज संख्या 6 का कार्य तय समयावधि के अन्तर्गत किया जा रहा है। विवरण संलग्न परिशिष्ट-ब में निहित है।

(4) उक्त परियोजना अन्तर्गत पैकेज संख्या 1 से 5 तक का कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं करने के कारण अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार क्रियान्वयन में विलम्ब के लिये अनुबन्ध फर्मों से अब तक कुल रु. 9.71 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि रोकी गई है। पैकेजवार रोकी गई राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट-ब में निहित है।

(5) उक्त परियोजना के पैकेज चतुर्थ के अतिरिक्त अन्य शेष 5 पैकेजों में उच्च जलाशयों की सीमेन्ट कंक्रीट की रिपोर्ट जांच में मानकों के अनुरूप

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

पाई गई। पैकेज चतुर्थ के अन्तर्गत ग्राम किरडोली छोटी, जाजोद, ढाणी बंजारण, तिड़ोकी बड़ी, काछवा व रूल्याणी में निर्मित किये जा रहे उच्च जलाशयों में प्रयुक्त की गई सीमेन्ट कंक्रीट के क्यूब्स की जांच मानकों के अनुरूप सही नहीं पाये जाने के कारण अनुबंधक फर्म को दोषपूर्ण कार्यों को ध्वस्त कर पुनर्निर्माण करने के निर्देश दिये जाकर इनका भुगतान रोक दिया गया है ।

(6) उक्त परियोजना माह मई, 2016 तक पूर्ण की जाकर उक्त 3 शहर एवं 285 ग्रामों को स्वच्छ पेयजल से लाभान्वित करना प्रस्तावित है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नवाब बसई उप-तहसील कार्यालय का भवन निर्माण

19. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बाड़ी की उप तहसील नवाब बसई के कार्यालय के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। उप तहसील बसई नवाब के कार्यालय निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में राशि 175.00 लाख रु. की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

गोगुन्दा तहसील (उदयपुर) को जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जोड़ने की योजना

1. श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार तहसील गोगुन्दा को जनजाति उप योजना क्षेत्र में जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। राज्य मंत्रिमण्डल की आज्ञा क्रमांक 153/2014 द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के प्रस्तावों का अनुमोदन किया है, जिसमें सम्पूर्ण गोगुन्दा तहसील को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया है। इन प्रस्तावों को अग्रिम कार्यवाही हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भिजवाये गये हैं। भारत सरकार की निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संवैधानिक आदेश जारी होने पर ही गोगुन्दा तहसील अनुसूचित क्षेत्र में शामिल हो सकेगी।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

जनजाति बहुल राजस्व गांवों को माडा योजना में सम्मिलित करने के मानदण्ड

2. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार जनजाति बहुल पिछड़े एवं अविकसित राजस्व गांवों को माडा योजना में सम्मिलित कर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास करने का विचार रखती है? यदि हां, तो सरकार द्वारा माडा योजना में गांवों को सम्मिलित करने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त मानदण्डानुसार लालसोट, राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ एवं महवा तहसील के जनजाति बहुल राजस्व गांवों को माडा योजना में सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार कुल जनसंख्या का जनजाति जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर राजस्व ग्रामों को माडा योजना में सम्मिलित किया जाता है।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

माडा योजना में गांवों को सम्मिलित करने हेतु माडा पाकेट (लघुखण्डों) के गठन के सम्बन्ध में भारत सरकार से प्राप्त गाइड लाइन्स परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। लालसोट, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ एवं महवा तहसील के जनजाति बहुल राजस्व गांवों को निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के प्रस्ताव शासन के माध्यम से जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भिजवाये गये हैं। अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के प्रस्तावों के अनुमोदन पश्चात माडा क्षेत्र के गठन/विस्तार के प्रस्ताव तैयार किये जायेंगे।

यहां उल्लेखनीय है कि माडा/माडा कलस्टर क्षेत्र के गठन/विस्तार सम्बन्धी स्वीकृति जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी की जाती है।

परिशिष्ट-अ

माडा पाकेट (लघुखण्डों) के गठन के सम्बन्ध में भारत सरकार से निम्न गाइड लाइन प्राप्त हुई है

1. प्रत्येक लघु खण्ड में 10,000 से कम आबादी नहीं होनी चाहिये।
2. सम्मिलित ग्रामों की कुल आबादी का 50 प्रतिशत जनजाति की आबादी होनी चाहिए।
3. लघुखण्ड की सीमायें एक ही जिले में होना आवश्यक है।
4. ग्रामों की सीमाओं में निरन्तरता होना आवश्यक है।
5. लघुखण्ड के ग्रामों के बीच के सभी ग्रामों को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।
6. लघुखण्ड के ग्रामों की जनसंख्या एवं सीमायें सेन्सस 2011 के अनुसार होना चाहिये।
7. ग्रामों में निरन्तरता बनाये रखने के लिये एक या दो ग्राम जिनमें 50 प्रतिशत के कम जनजाति के व्यक्ति निवास करते हैं, को सम्मिलित किये जा सकते हैं, परन्तु इससे अधिक नहीं।
8. लघुखण्ड की सीमा पर स्थित प्रत्येक ग्राम की जनजाति की आबादी 50 प्रतिशत होना आवश्यक है।

लाम्बियाकलां (भीलवाड़ा) के केटल फीडप्लांट में वित्तीय अनियमितताओं पर कार्यवाही

3. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर की एक यूनिट केटलफीड प्लांट लाम्बियाकलां, जिला भीलवाड़ा में स्थापित की गई है? यदि हां, तो उसकी स्थापना कब हुई? उसके उद्देश्य क्या निर्धारित किये गये और इसके संचालक मण्डल की रचना का क्या आधार रहा है तथा वर्तमान में इसके कौन-कौन सदस्य हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या इसके प्रबंध संचालक, प्रबंधक व अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं भी निर्धारित की गई हैं? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी सभी की योग्यताओं का विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर अयोग्य व्यक्तियों को नियुक्तियां दी गई हैं? यदि नहीं, तो वर्तमान अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम, पद, योग्यता एवं वेतन का विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि प्लांट हेतु 90 लाख रुपयों से खरीदी गई कुट्टी मशीन की खरीद में की गई अनियमितता की जांच की जा रही है? यदि हां, तो इसकी जांच कौन कर रहा है और क्या जांचकर्ता का खरीद प्रक्रिया से भी सम्बन्ध रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार निष्पक्ष जांच कराने हेतु जांच किसी वरिष्ट अधिकारी से कराने का विचार रखती है? यदि नही, तो क्यों?

(5) क्या प्लांट में गलत पेमेंट उठाने की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्राप्त शिकायतें व उक्त पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज़ रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पशुआहार संयंत्र लाम्बियाकलां, जिला भीलवाड़ा की स्थापना 1 नवम्बर, 2014 को की गयी है। सभी सम्बद्ध दुग्ध संघों को उच्च गुणवत्ता का पशुआहार, उचित दर पर उपलब्ध कराना ही मुख्य उद्देश्य है।

पशुआहार संयंत्र लाम्बियाकलां आरसीडीएफ द्वारा संचालित है अतः आरसीडीएफ के संचालक मण्डल द्वारा ही नियंत्रित है।

वर्तमान में आरसीडीएफ के संचालक मण्डल के सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है :—

(डेयरी मंत्री)

1. श्री जोगसिंह बालोत, अध्यक्ष, आरसीडीएफ जयपुर
2. प्रमुख शासन सचिव, वित्त राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा उनके प्रतिनिधि
3. प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन, मत्स्य एवं गौपालन विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर
4. पंजीयक सहकारी समितियां, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा उनके प्रतिनिधि
5. श्री ओमप्रकाश पूनिया अध्यक्ष, जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., जयपुर
6. श्री प्रतापसिंह बीठिया, अध्यक्ष, पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., पाली
7. श्री गोपाल चौधरी, अध्यक्ष, टोंक जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., टोंक
8. श्रीमती ईश्वरी देवी, अध्यक्ष, अलवर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., अलवर
9. श्री भीखाराम चौधरी, अध्यक्ष बाड़मेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., बाड़मेर
10. श्री फतेहसिंह, अध्यक्ष, भरतपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., भरतपुर
11. श्री रतनलाल जाट, अध्यक्ष, भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., भीलवाड़ा
12. श्री सुदेश चौधरी, अध्यक्ष श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., हनुमानगढ़
13. प्रबन्ध संचालक, आरसीडीएफ लि., जयपुर

(2) जी हां। दिनांक 1 नवम्बर, 2014 से 22 जुलाई, 2015 तक पशुआहार संयंत्र, लाम्बियाकलां, प्रबन्ध संचालक, भीलवाड़ा दुग्ध संघ, भीलवाड़ा के अधीन कार्यरत था एवं दिनांक 23 जुलाई 2015 से लगातार पशुआहार संयंत्र, लाम्बियाकलां, आरसीडीएफ के अधीन कार्यरत है। प्रबन्ध संचालक दुग्ध संघ भीलवाड़ा मूलत: महाप्रबन्धक (एफ.ओ. एण्ड ए.एच) पद पर है।

(डेयरी मंत्री)

आरसीडीएफ सेवा नियम के अन्तर्गत पशु आहार संयंत्र के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों के पदनाम एवं योग्यता निम्नानुसार है :

क्र.सं.	पदनाम	योग्यता
1	महाप्रबन्धक (एफ.ओ. एण्ड ए.एच.)	Degree in Animal Husbandry or Vety. Science 15 yrs of post qualification experience of which 10 yrs experience in responsible position of organising cattle development pro-grammes/ milk collection/ farmes co-ops. , Dairy Devpt.
2	प्रबन्धक, पशु आहर संयन्त्र	Degree in Engg. (Elec./Mech. Civil) or PG Degree Diploma in Animal Nutrition with 10 yrs post qualification experience in responsible position in operation & maintenance of cattle feed plants.
3	उपप्रबन्धक (ए.एन.)	P.G. Degree/Diploma in Animal Nutrition with 5 yrs post-qualification experience in supervi-sory position in Animal feed manufacturing plant/research lab.
4	सहा प्रबन्धक (संयंत्र/ अभियान्त्रिकी)	Degree in Engg. (Elect/Mech/ Civil)
5	सहायक डेयरी केमिस्ट	M.Sc. in Chemistry with two yrs experience in laboratory
6	लेखाकार	At least IInd class Post Graduate in commerce (with accountancy as one of the papers in B.Com or M.Com) with 5 yrs experience on similar post.
7	कनिष्ठ लेखाकार	At least IInd class Commerce Graduates or Post Graduate in commerce with 3 yrs experience.

(डेयरी मंत्री)

क्र.सं.	पदनाम	योग्यता
8	वरिष्ठ लिपिक	Must be IInd class graduate with 2 years experience on similar post in Govt. Deptt./ Public or private sector Undertaking.
9	कनिष्ठ लिपिक	Must be IInd class Higher Secondary with knowledge of typing in English or Hindi preferably both with minimum speed of 30 or 20 W.P.M. in English & Hindi respectively. Preference will be given to graduate.
10	विधुतकार	ITI (Electric) with two yrs practical experience.
11	फीटर	ITI (fitter) with two yrs practical experience.
12	आपरेटर ग्रेड-II	ITI or Literate with three yrs experience.
13	बायलर अटेन्डेंट	Should have B-grade certificate with two yrs experience.

(3) जी नहीं। वर्तमान में पशुआहार संयंत्र लाम्बियाकलां जिला-भीलवाड़ा में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम, पद, योग्यता एवं वेतन का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद	योग्यता	वेतन श्रृंखला	कुल वेतन
1	डा. एस.एल. जनागल	प्रबन्धक	B.V.SC & AH, PGDHRD	15600-39600	94,476
2	श्री के.डी. राकावत	स. अनुभाग अधिकारी	B.Com	9300-34800	48,449
3	श्री आयुष्मान सिंह	वरिष्ठ वियुतकार	I.T.I.	9300-4800	56,566
4	श्री रामेश्वर लाल	वरिष्ठ आपरेटर	10th	9300-34800	37,957
5	श्री संदीप दाधीच	लिपिक	B.A.	7685 फिक्स वेतन	

(डेयरी मंत्री)

(4) जी हां। भीलवाड़ा दुग्ध संघ द्वारा चारा कुट्टी मशीन की खरीद में अनियमितता सम्बन्धी शिकायत की प्रारम्भिक जांच वित्तीय सलाहकार, आरसीडीएफ द्वारा की गई।

वर्तमान में राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 55 के अन्तर्गत श्री अनिल कुमार शर्मा, सहायक पंजीयक (सेवानिवृत्त) द्वारा की जा रही जांच प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्त दोनों जांच अधिकारियों का उक्त खरीद प्रक्रिया से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(5) जी नहीं।

बाड़मेर जिले के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

4. श्री कैलाश चौधरी (बायतू) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के पशु चिकित्सालयों व चिकित्सा इकाइयों में वर्तमान में अधिकांश पद रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार पशुधन को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बाड़मेर जिले की पशु चिकित्सा इकाइयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है-

क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे हुए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी	28	20	08
2	पशु चिकित्सा अधिकारी	74	27	47
3	पशु चिकित्सा सहायक	38	07	31
4	पशुधन सहायक	160	114	46
5	जलधारी	97	13	84
6	पशुधन परिचर	150	36	114
7	सफाईकर्ता	40	16	24
8	गडरिया	08	06	02

(पशुपालन मंत्री)

(2) जी हां।

1- पशु चिकित्सा अधिकारियों के 525 पदों को भरने के लिये राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को अर्थना प्रेषित की जा चुकी है। आयोग के स्तर से लिखित परीक्षा आयोजित की जाकर परिणाम प्रकाशित किया जा चुका है। साक्षात्कार शेष है।

2- पशुधन सहायकों के 789 रिक्त पदों को भरे जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। विधिक परीक्षण करवाकर, अभ्यर्थियों के चयन के लिये अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक कर्मचारी चयन बोर्ड को अर्थना भिजवाई जानी प्रक्रियाधीन है।

3- बजट घोषणा वर्ष 2015-16 अन्तर्गत खोले जाने वाले 600 नवीन उपकेन्द्रों हेतु जलधारी के 600 नवीन पदों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिन्हें जिलों में नवीन उपकेन्द्र खोले जाने के उपरान्त भरा जा सकेगा। उपकेन्द्र खोले जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

4- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा सहायक, पशुधन परिचर के पद पदोन्नति के हैं, जिन्हें नियमानुसार पदोन्नति बैठकें कर भरा जाना प्रकियाधीन है।

5- सफाईकर्ता व गडरिया के रिक्त पदों को भरे जाने की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। प्रदेश में 1000 पशु चिकित्सा इकाइयों पर, जहां वर्तमान में सफाईकर्ता के पद रिक्त हैं या सर्जित नहीं हैं, वहां सफाई कार्य ठेका आधारित करवाने की स्वीकृति जारी कर दी गई है। जिला स्तर से ठेका किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने के उपरान्त प्राथमिकता से रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

बाड़ी (धौलपुर) में स्थित सब्जी मण्डी को स्थानांतरण की योजना

5. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार बाड़ी (धौलपुर) के घनी आबादी वाले क्षेत्र में चल रही सब्जी मण्डी को कृषि उपज मण्डी प्रांगण में स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

कृषि उपज मण्डी समिति, धौलपुर के गौणमण्डी यार्ड बाड़ी में फल सब्जी व्यवसायियों हेतु चिन्हित भूखण्डों एवं रिक्त निर्मित दुकानों के आबंटन के लिए विज्ञप्ति दिनांक 13.2.15 (संलग्न परिशिष्ट 'अ') जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। इस विज्ञप्ति के क्रम में कस्बे के घनी आबादी वाले क्षेत्र में चल रही सब्जी मण्डी के अनुज्ञापत्रधारी व्यापारियों से 50 एवं महिला कृषकों से 7 आवेदन पत्र फल सब्जी हेतु चिन्हित भूखण्ड/दुकानों के आबंटन के लिए प्राप्त हुए हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्धारित प्रक्रियानुसार शीघ्र आबंटन समिति की बैठक आयोजित कर अचल सम्पति आवंटन नीति 2005 के तहत नियमानुसार दुकान/भूखण्ड आबंटन की कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट-अ

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति धौलपुर (राज.)

क्रमांक : 1730　　　　　　　　　　　　　　दिनांक : 13-2-15

आबंटन विज्ञप्ति

कृषि उपज मण्डी समिति धौलपुर के गौण मण्डी प्रांगण बाड़ी में रिक्त भूखण्डों, दुकानों एवं गोदामों का 99 वर्षीय लीज पर आबंटन हेतु अचल सम्पति आबंटन नीति 2005 एवं यथा समय जारी संशोधनों के तहत निर्धारित प्रारूप में सब यार्ड बाड़ी मण्डी क्षेत्र के इच्छुक अनुज्ञापत्रधारी अनाज/फल-सब्जी व्यवसायियों एवं महिला कृषकों से दिनांक 17.03.2015 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र. सं.	यार्ड	रिक्त दुकान/ गोदाम/ भूखण्ड	महिला कृषक	कृषि स्नातक	एस.सी./ एस.टी.	वि.वि.
1.	सब यार्ड बाड़ी	04 दुकान	01	—	—	अनाज के व्यवसायियों
		20 गोदाम	04	—	—	
2.	सब यार्ड बाड़ी	14 दुकान	02	—	01	फल-सब्जी व्यवसायियों
		25 भूखण्ड	03	—	02	
3.	सब यार्ड बाड़ी	12 फुटकर दुकान	—	02	04	-

1. निर्मित दुकान/गोदामों की दर का निर्धारण कृषि विपणन बोर्ड भरतपुर द्वारा किया जावेगा।
2. फुटकर दुकानें :—खाद-बीज-दवाइयां, बारदाना, पशुआहार, कृषि साहित्य, कृषि यंत्र एवं अन्य सम्बन्धित कृषि व्यवसाय से जुडी विभिन्न वस्तुयें एवं सेवाओं यथा एग्री क्लिनिक, वायदा बाजार केन्द्र, बायो प्रोडक्ट शाप, सर्टिफिकेशन लेब, टेस्टिंग लेबोरेटरी, गौ-सेवा आयोग द्वारा प्रमाणित उत्पादों के विक्रय केन्द्र निर्यात सलाह केन्द्र, सरस उत्पाद विपणन केन्द्र, कियोस्क, एस.टी.डी., पी.सी.ओ. आदि प्रयोजन हेतु, डी.एल.सी. दर की 50 प्रतिशत दर पर गौण मण्डी क्षेत्र बाड़ी के आवेदकों को आबंटित की जावेंगी। उक्त उपलब्ध दुकान/भूखण्ड एवं कियोस्क में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग हेतु 30 प्रतिशत आरक्षण रखा जावेगा।
3. उपलब्ध भूखण्डों एवं दुकानों में से 20 प्रतिशत महिला कृषक वर्ग हेतु आरक्षित की जावेगी। उक्त आरक्षण में से 30 प्रतिशत अनु. जाति/अनु. जन. जाति महिला कृषकों हेतु आरक्षित रखी जावेंगी। दुकानों/भूखण्डों में से 5 प्रतिशत विधवा महिला कृषकों (On Horizontal Basis) हेतु आरक्षित किये जाकर आबंटित किये जा सकेंगे तथा 3 प्रतिशत आरक्षण नि:शक्तजन हेतु नियमानुसार रखा जावेगा।
4. भूखण्डों एवं दुकानों का आबंटन ऐसे अनुज्ञापत्रधारी आवेदक को ही किया जावेगा जिन्होंने आबंटन के वर्ष से ठीक पूर्व के कम से कम एक वित्तीय वर्ष में अधिसूचित कृषि जिन्सों का व्यवसाय/टर्न ओवर किया हो उन्हें डी.एल.सी. की शत प्रतिशत दर पर तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर की डेढ़ गुना राशि का भुगतान करने पर ऐसे आवेदकों को भी भूखण्ड या दुकान आबंटित की जा सकेगी जिन्होंने पूर्व में अधिसूचित कृषि जिन्सों का व्यवसाय नहीं किया हो।
5. आवेदक को 10000/- रु. की धरोहर राशि का डी.डी. या बैंकर चैक आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।
6. महिला कृषक आवेदक राजस्व रिकार्ड में भूमि धारण करती हो एवं मण्डी क्षेत्र की स्थायी निवासी हो।
7. अन्य आबंटन सम्बन्धी शर्तें/जानकारी गौण मण्डी यार्ड बाड़ी के नोटिस बोर्ड पर कार्यालय दिवस में देखी जा सकेंगी।

सरला
अध्यक्ष
कृषि उपज मण्डी समिति,
धौलपुर

ओमप्रकाश
सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति,
धौलपुर

प्रदेश में किसानों को बागवानी के लिये ऋण एवं अनुदान की योजना

6. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में किसानों को फलदार, फूलदार एवं औषधीय पौधों की कृषि के लिये सरकार द्वारा ऋण एवं अनुदान दिया जाता है ? यदि हां, तो इसके लिये क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जोधपुर जिले में दिसम्बर, 2013 से 31 जुलाई, 2015 तक उक्त योजना में कितना-कितना ऋण एवं अनुदान किसानों को जारी किया गया? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने हेतु किसानों को फलदार, फूलदार एवं औषधीय पौधों की कृषि के लिये मिशन फार इन्टीग्रेटेड डवलपमेन्ट आफ हार्टिकल्चर उप योजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय आयुष मिशन एवं राज्य योजना के तहत अनुदान देय है। उक्त योजनाओं के तहत फलदार फूलदार एवं औषधीय पौधों पर देय अनुदान के मानदण्ड परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

(2) जोधपुर जिले में दिसम्बार, 2013 से अब तक राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं राज्य योजनान्तर्गत कृषकों को जारी किये गये अनुदान का पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। राष्ट्रीय आयुष मिशन योजनान्तर्गत वर्ष 2013 से जोधपुर जिले में किसानों को कोई अनुदान उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में किसानों को उन्नत किस्म के बीजों का वितरण

7. श्री श्रीराम भींचर (मकराना) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्षा ऋतु एवं खरीफ फसलों की बुवाई से पूर्व सरकार द्वारा किसानों को उन्नत किस्म के बीजों का वितरण किया जाता है? यदि हां, तो किस-किस किस्म के बीजों का एवं कितना-कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री श्रीराम भींचर)

(2) सरकार द्वारा वितरण किये जाने हेतु तहसील स्तर पर कितना-कितना बीज आबंटन किया जाता है तथा बीज वितरण में क्या-क्या मानदण्ड अपनाये जाते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों के सभी किसानों को बीज का वितरण किया जाता है? यदि हां, तो कितना-कितना व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक किसान को उन्नत किस्म के बीज का वितरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं यथा-एनएमओओपी, एनएफएसएम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आदि के तहत मिनिकिट/प्रदर्शन आयोजन एवं सामान्य बुआई हेतु खरीफ एवं रबी सीजन में फसलों की बुआई से पूर्व किसानों को उन्नत किस्म का बीज उपलब्ध करवाया जाता है। मिनिकिट/प्रदर्शन आयोजन एवं सामान्य वितरण हेतु योजना के दिशा-निर्देशानुसार विभिन्न फसलों (दलहनी, तिलहनी व खाद्यान) के लिए बीज की मात्रा अलग-अलग होती है। विवरण परिशिष्ट-1 संलग्न है।

(2) राज्य में मिनिकिट/प्रदर्शन आयोजन एवं अनुदानित दर पर सामान्य बुआई हेतु उपलब्ध कराए जाने वाले विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीजों का जिलेवार आबंटन कृषि आयुक्तालय स्तर से किया जाता है। तत्पश्चात् जिला स्तर पर जिला परिषद से विभिन्न योजनाओं में पंचायत समिति हेतु बीज का आबंटन, अनुमोदन एवं पंचायत समिति स्तर पर विभिन्न ग्राम पंचायतों में योजनाओं के तहत बीज वितरण का अनुमोदन पंचायत समिति से कराया जाता है। बीज वितरण के मापदण्ड परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

(3) विभिन्न योजनाओं के तहत मिनिकिट/प्रदर्शन आयोजन हेतु बीज का वितरण आबंटित लक्ष्यों के अनुसार किया जाता है। अनुदानित दर पर सामान्य वितरण हेतु प्रमाणित बीज कृषक द्वारा योजना के दिशा-निर्देश एवं निर्धारित अधिकतम सीमा अनुसार केवीएसएस/जीएसएस/बीज संस्थाओं के अधिकृत विक्रेताओं से प्राप्त किया जाता है।

(4) राज्य सरकार का यह प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक किसान को उन्नत किस्म का बीज उपलब्ध हो। इस हेतु रबी एवं खरीफ

(कृषि मंत्री)
सीजन से पूर्व बीज की आवश्यकता का आंकलन किया जाकर कार्य योजना तैयार की जाती है तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की बीज संस्थाओं के माध्याम से पर्याप्त बीज की उपलब्धता कराई जाती है। बीज संस्थाओं द्वारा उक्त बीज उनके डीलर नेटवर्क यथा क्रय-विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति, निजी बीज विक्रेता केन्द्र आदि के माध्यम से कृषकों को उपलब्ध/विक्रय किया जाता है। रबी 2015-16 हेतु कुल प्रमाणित/उन्नत बीज की आवश्यकता एवं विभिन्न बीज संस्थाओं के माध्यम से उपलब्धता का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले के बास्केटबाल के विजेता खिलाड़ियों को देय अनुदान

8. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा प्रदेश, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विजेता, उप विजेता व तृतीय स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है? यदि हां, तो बाड़मेर जिले के बास्केटबाल के विजेता खिलाड़ियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त जिले के बास्केटबाल के राज्य स्तर पर 17 व 19 वर्ष के विजेता खिलाड़ियों को अनुदान राशि का भुगतान किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक भुगतान कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान क्रीड़ा सहायता अनुदान नियम, 1986 व संशोधित नियम, 2012 के तहत राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विजेता, उप विजेता व तृतीय स्थान पर रहने वाले राज्य के खिलाड़ियों को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किये जाने पर अनुदान हेतु गठित चयन समिति की अभिशंसा के उपरान्त पुरस्कार राशि स्वीकृत की जाती है। अभिलेखानुसार जनवरी, 2014 तक की राजकीय स्वीकृति में बाड़मेर जिले से कोई भी खिलाड़ी सम्मिलित नहीं है।

जनवरी, 2014 के उपरान्त प्राप्त विजेता आवेदकों की सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। जनवरी, 2014 के उपरान्त बाड़मेर जिले के कनिष्ठ एवं यूथ वर्ग के 17 खिलाड़ियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रश्न संख्या-9

(स्थगित)

पुष्कर में खेल मैदान एवं स्टेडियम का निर्माण

10. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर) : क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कितने खेल मैदान एवं स्टेडियम कहां-कहां पर स्थित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रूपनगढ़ एवं पुष्कर उपखण्ड मुख्यालयों में स्टेडियम का तथा करकेडी, गगवाना, वीर व भूडोल कस्बों में खेल मैदान के निर्माण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में खेल विभाग के स्वामित्व का कोई भी खेल मैदान एवं स्टेडियम नहीं है।

वर्ष 2013-14 में युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा दिनांक 30.06.2014 को पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में स्टेडियम निर्माण हेतु राशि रुपये 10.00 लाख की मैचिंग ग्रांट सार्वजनिक निर्माण विभाग के पक्ष में जारी की गई थी।

(2) जी हां। समन्वित स्टेडियम (आधारभूत सुविधाएं) विकास कार्यक्रम, 2007 के अन्तर्गत सम्भाग, जिला एवं तहसील स्तरीय स्टेडियमों का निर्माण Standardised Type Designs के अनुसार चरणबद्ध तरीके से वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाता है।

युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.11(13) खेल/2012 दिनांक 01.06.2012 के अनुसार प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर खेल स्टेडियमों के निर्माण अथवा उच्चीकरण हेतु स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाओं, निजी सहयोग अथवा माननीय सांसदों एवं विधान सभा सदस्यों द्वारा राशि उपलब्ध करवाने पर राज्य सरकार द्वारा भी 10 लाख रुपये तक की मैचिंग ग्रान्ट दिये जाने का प्रावधान है। प्रस्तावित कार्यों हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग का तकमीना एवं प्रस्तावित राशि का डी.डी. प्रथमतः सचिव, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के पक्ष में भिजवाया जाना आवश्यक है।

(युवा मामले एवं खेल मंत्री)

उक्त वर्णित प्रावधानों की श्रेणी में निहित स्टेडियम निर्माण एवं विकास कार्यों के यथोचित प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

इसके साथ ही भारत सरकार की केन्द्रीय प्रवर्तित योजना राजीव गांधी खेल अभियान के अन्तर्गत आगामी पांच वर्षो में राज्य के समस्त ब्लाक मुख्यालयों पर इण्डोर एवं आउटडोर खेल मैदानों का निर्माण कराये जाने की योजना है।

बूंदी शहर से नैनवां वाया खटकड रोड पर बाइपास का निर्माण

11. श्री अशोक डोगरा (बूंदी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बूंदी शहर से होकर सवाई माधोपुर तथा लाखेरी सीमेन्ट फेक्ट्रियों के बड़े वाहन चलते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार बूंदी से नैनवां वाया खटकड रोड पर बूंदी शहर को बचाते हुये एवं नवीन निर्माणाधीन कृषि मण्डी को जोडते हुये बाईपास बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं क्यों?

उत्तर

जी हां। यह सही है कि सवाई माधोपुर तथा लाखेरी सीमेन्ट फेक्ट्रियों को जाने वाले बड़े वाहन बूंदी शहर से होकर गुजरते हैं, जिसके कारण बूंदी से नैनवां वाया खटकड रोड पर बूंदी शहर में यातायात भार बहुत अधिक है। बूंदी शहर की काफी आबादी बूंदी खटकड़ रोड़ पर बसी हुई है। यातायात के दबाव एवं आबादी क्षेत्र से भारी वाहनों का आवागमन होने के कारण दुर्घटनाएं होने की सम्भावनाओं को देखते हुए बूंदी शहर का बाइपास बनाये जाने की आवश्यकता है।

वर्तमान में बूंदी शहर का बाइपास बनाया जाना किसी भी योजनान्तर्गत प्रस्तावित/विचाराधीन नहीं है।

बूंदी शहर का उक्त बाइपास खटकड़ लाखेरी मार्ग (एस.एच.-29) पर राताबरड़ा के पास कि.मी. 95/500 से शुरू कर बायीं मुख्य नहर के साथ-साथ नई कृषि उपज मण्डी के पास से होकर नानकपुरिया गांव के पास से बूंदी रोड़ स्थित रोटरी तिराहे तक बनाया जा सकता है (इस प्रस्ताव में रेलवे क्रोसिंग नहीं आयेगी, जिससे आर.ओ.बी. निर्माण की आवश्यकता नहीं रहेगी)। लगभग

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

12.10 कि.मी. लम्बाई के उक्त बाइपास निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगी।

जोधपुर के राइका बाग बस स्टैण्ड के विस्तार की योजना

12. श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जोधपुर के राइकाबाग स्थित बस स्टैण्ड के विस्तार की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 19.6.2012 व 07.02.2013 को आयोजित बैठक में जोधपुर बस स्टैण्ड के विस्तार हेतु फल सब्जी मण्डी की समस्त 17 बीघा 5 बिस्वा भूमि निगम को हस्तान्तरित करने तथा निगम की भदवासिया स्थित कार्यशाला की भूमि कृषि उपज मण्डी समिति (फल सब्जी मण्डी) जोधपुर को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था। जिसकी अनुपालना में निगम द्वारा भदवासिया स्थित कार्यशाला की रिक्त 3.72 बीघा भूमि का कब्जा दिनांक 06.02.2013 को कृषि उपज मण्डी समिति (फल सब्जी मण्डी) जोधपुर को हस्तान्तरण किया जा चुका है।

जोधपुर बस स्टैण्ड के विस्तार हेतु गौण मण्डी यार्ड (फल सब्जी) पावटा की भूमि निगम को हस्तान्तरण करने सम्बम्धी प्रकरण वर्तमान में मंत्रीमण्डलीय उप समिति के पास निर्णय हेतु विचाराधीन है। निर्णय के उपरान्त ही जोधपुर स्थित मण्डी के हस्तान्तरण के सम्बम्ध में कोई कार्यवाही हो सकेगी।

टोडाभीम शहर में बाइपास का निर्माण

13. श्री घनश्याम (टोडाभीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि टोडाभीम शहर में यातायात अधिक होने के कारण आमजन को असुविधा हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार आमजन की सुविधा हेतु बाइपास निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। टोडाभीम शहर में यातायात अधिक होने के कारण आमजन को असुविधा होती है। मेहन्दीपुर बालाजी धाम, श्रीमहावीरजी जैन मन्दिर एवं कैलादेवी के दर्शनार्थियों का आवागमन रहने से एवं कृषि उपज मण्डी, कपड़ा मण्डी, फल एवं सब्जी मण्डी होने से टोडाभीम शहर में यातायात का दबाव रहता है। आमजन की सुविधार्थ यदि टोडाभीम शहर का बाइपास बनाया जाता है तो आवागमन में काफी सुगमता होगी। वर्तमान में उक्त बाइपास किसी भी योजनान्तर्गत स्वीकृत नहीं है।

टोडाभीम शहर का उक्त बाइपास टोडाभीम-गाजीपुर सड़क (एम.डी.आर.-63) के कि.मी. 70/800 से शुरू कर रंगलाल का पुरा होते हुए टोडाभीम-मेहन्दीपुर बालाजी सड़क (एम.डी.आर.-142) के कि.मी. 3/0 तक बनाया जा सकता है। लगभग 5.500 कि.मी. लम्बाई के उक्त बाइपास में 2.500 कि.मी. में रास्ता उपलब्ध है एवं 3.00 कि.मी. लम्बाई में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही किये जाने के उपरान्त ही बाइपास निर्माण कराया जाना सम्भव होगा।

उक्त बाइपास के निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगी।

प्रदेश में नवीन सड़कों के निर्माण की योजना

14. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में वर्ष 2015-16 में कुल कितनी लम्बाई की सड़कें बनाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में 01 अप्रैल, 2015 से 31 अगस्त, 2015 तक कुल कितनी लम्बाई की कौन-कौनसी सड़कें कहां-कहां बनाई गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्ष 2015-16 मे विभिन्न योजनान्तर्गत कुल 7359.01 कि.मी. लम्बाई की सड़कें बनाया जाना प्रस्तावित है। इनमें ग्रामीण गौरव पथ योजनान्तर्गत 2120.16 कि.मी., मिसिंग लिंक योजनान्तर्गत 2084.85 कि.मी., प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 2500.00 कि.मी. एवं आर.आर.एस.एम.पी. योजनान्तर्गत 654.00 कि.मी. लम्बाई की सड़कें बनाया जाना प्रस्तावित है। जिलेवार विवरण क्रमशः परिशिष्ट-1, 2, 3 एवं 4 पर प्रस्तुत है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) प्रदेश में 01 अप्रैल, 2015 से 31 अगस्त, 2015 तक विभिन्न योजनान्तर्गत कुल 2322.33 कि.मी. लम्बाई की सड़कें बनाई गई हैं। जिलेवार एवं सड़कवार विवरण परिशिष्ट-5 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जालौर जिले में ग्रामीण बस सेवा प्रारम्भ करने की योजना

15. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार जालौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों की सुविधा के लिए ग्रामीण बस सेवा प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के श्री सुन्धा माता से श्री अम्बाजी गुजरात एवं श्री विरात्रामाता मंदिर, चौहटन, बाड़मेर के लिए निगम बस सेवा प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जालौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे ग्रामीणों की सुविधा के लिये 20 मार्गों पर 18 पीपीपी मोड की तथा 2 निगम की ग्रामीण मिडी बसें संचालित हैं। तथा शेष वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में निगम के सीमित संसाधनों के कारण फिलहाल ग्रामीण परिवहन सेवाएं प्रारम्भ किया जाना सम्भव नहीं है।

(2) रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के श्री सुंधामाता से श्री अम्बाजी (गुजरात) एवं श्री सुंधामाता से श्री विरात्रामाता मंदिर (चौहटन, बाड़मेर) के लिये राजस्थान परिवहन निगम की कोई सीधी बस सेवा संचालित नहीं है। वाहन संचालन के लिए सर्वे करवाकर गुणदोष के आधार पर विचार किया जायेगा।

प्रदेश के राजस्व गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने की योजना

16. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में कुल कितने राजस्व गांवों में से कितने गांव ऐसे हैं, जो सड़क मार्ग से जुड़े हुए नहीं हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

(2) 1 जनवरी, 2014 के बाद प्रदेश में कितने नये राजस्व गांवों को सड़क से जोड़ा गया है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ऐसे राजस्व गांव जो सड़क मार्ग से वंचित हैं, उन्हें सड़क मार्ग से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के कौन-कौन से राजस्व गांव ऐसे हैं जो वर्तमान में सड़क मार्ग से जुडे हुए नहीं हैं? उक्त गांवों को अब कब तक सड़क मार्ग से जोड़ दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनगणना 2001 के आधार पर प्रदेश के कुल 39753 राजस्व गांवों में से वर्तमान में कुल 5071 राजस्व गांव सड़क मार्ग से जुडे हुए नहीं हैं। जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) 1 जनवरी, 2014 के बाद प्रदेश में जनगणना 2001 के आधार पर कुल 1247 राजस्व गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। वर्तमान में सड़क मार्ग से वंचित, जनगणना 2001 के अनुसार 250 से अधिक जनसंख्या वाले 344 गांवों को नाबार्ड व आर.आर.एस.एम.पी. योजनान्तर्गत सड़कों से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। शेष सड़क मार्ग से वंचित राजस्व गांवों को जोड़ना राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(4) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के कुल 10 राजस्व गांव वर्तमान में सड़क मार्ग से जुडे हुए नहीं हैं। विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

इन राजस्व गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, नीतिगत निर्णय एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण

17. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मानिक चन्द सुराना)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के 33 जिलों की तरह डीडवाना विधान सभा क्षेत्र को भी एक सर्किल बनाकर जिले का दर्जा दिया गया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रदेश के कौन-कौन से जिलों के सर्किल व डीडवाना विधान सभा क्षेत्र के सर्किल में कितनी-कितनी धनराशि ग्रामीण गौरव पथ के लिये आबंटित की गई है तथा कितनी-कितनी राशि ग्राम पंचायतों में गौरव पथ बनाने हेतु व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के बजट में यह घोषणा की गई थी कि ग्रामीण गौरव पथ के लिये प्रत्येक जिले में एक तिहाई ग्राम पंचायतों को बजट आबंटित किया जायेगा? यदि हां, तो वर्ष 2015-16 में प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल कितनी पंचायतों में ग्रामीण गौरव पथ बनाये जा चुके हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। डीडवाना विधान सभा क्षेत्र को जिले का दर्जा नहीं दिया गया है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.1(78)सानि/2013 दिनांक 04.03.2014 के द्वारा नागौर जिले में डीडवाना मुख्यालय पर सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक वृत कार्यालय स्थापित किया गया है, जिसमें विधान सभा क्षेत्र डीडवाना, परबतसर, नावां, मकराना एवं लाडनूं की पंचायत समिति डीडवाना, परबतसर, कुचामन, नावां, मकराना, लाडनूं एवं मौलासर का क्षेत्र आता है। प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

राज्य में सार्वजनिक निर्माण विभाग के वृत एवं खण्ड कार्यालयों की स्थापना कार्य की अधिकता, भौगोलिक परिस्थितियों एवं कार्यों के निरीक्षण में सुविधा को देखते हुए की जाती है। वृत के गठन से जिला होने का कोई सम्बन्ध नही होता है। जयपुर जिले में इसी प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग के दो वृत कार्यालय पूर्व से ही कार्यरत हैं।

(2) प्रदेश में वर्ष 2015-16 में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न जिलों के सर्किल एवं डीडवाना सर्किल (जिसमें विधान सभा क्षेत्र डीडवाना, परबतसर, नावां, मकराना एवं लाडनूं की पंचायत समिति डीडवाना, परबतसर, कुचामन, नावां, मकराना, लाडनूं एवं मौलासर का क्षेत्र आता है) में ग्रामीण गौरव पथ योजना के लिये स्वीकृत राशि तथा व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के बजट में ग्रामीण पथ के लिये प्रत्येक जिले में एक तिहाई ग्राम पंचायतों को बजट आबंटित किये जाने सम्बन्धी कोई घोषणा नहीं की गई है।

अपितु वर्ष 2014-15 के बजट में राज्य की 9 हजार से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 0.5 से 2 कि.मी. लम्बी सड़क का चयन कर आगामी 3 वर्षों में इन्हें ग्रामीण गौरव पथ के रूप में विकसित किये जाने की घोषणा की गई थी।

वर्ष 2015-16 में प्रदेश के विभिन्न जिलों की पंचायतों में बनाये गये ग्रामीण गौरव पथों की सूचना का विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सीतोड ग्राम पंचायत के सरपचं (सवाई माधोपुर) द्वारा दी गई असत्य सूचना पर कार्यवाही

18. श्री अजीत सिंह (टोंक) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत सीतोड पंचायत समिति बामनवास ने दिनांक 29 सितम्बर, 2007 को राजकीय चिकित्सालय, गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर में संतान को जन्म देकर जननी सुरक्षा योजनान्तर्गत देय राशि 1700 रुपये प्राप्त करने के बाद भी नाम निर्देशन प्रपत्र में उसके द्वारा नियम एवं कानून का उल्लंघन करके झूठी सूचना देकर दिनांक 27 अप्रैल, 1994 के बाद केवल दो संतानों की जन्म तिथि 20 दिसम्बर, 2010 तथा दिनांक 17 अक्टूबर, 2012 दर्शाया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोषी सरपंच के विरुद्ध असत्य सूचना देने तथा नियम एवं कानून का उल्लंघन करने का मामला दर्ज करवाकर निलम्बन करने की कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सरपंच द्वारा नाम निर्देशन प्रपत्र में दर्शाये गई संतानों के नाम तथा संलग्न किये गये परिवार राशन कार्ड आवेदन एवं क्रमांक 31 दिनांक 5 मई, 2010 में दर्शाई गई पुत्रियों के नाम में भिन्नता होने से भी यह साबित हो रहा है कि उसने दिनांक 27 अप्रैल, 1994 के बाद दो से अधिक संतानों को जन्म दे दिया था? यदि नहीं, तो नाम निर्देशन प्रपत्र व परिवार राशन कार्ड की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अजीत सिंह)

(3) उक्त दोषी सरपंच के विरुद्ध सरकार तथा सम्भागीय आयुक्त भरतपुर तथा जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर को नाम निर्देशन प्रपत्र सहित राजकीय चिकित्सालय, गंगापुरसिटी के द्वारा जारी किये गये प्रसव के प्रमाणित तथ्य प्रेषित करने के बाद भी अब कब तक कार्यवाही में विलम्ब के क्या कारण रहे? सरकार अब कब तक कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 4 मार्च, 2015 को सम्भागीय आयुक्त भरतपुर को जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त कर प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया। जिसके क्रम में सम्भागीय आयुक्त भरतपुर ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाई माधोपुर एवं तहसीलदार बामनवास, जिला सवाई माधोपुर द्वारा की गई प्राथमिक जांच रिपोर्ट दिनांक 13 सितम्बर, 2015 की प्रति संलग्न भिजवाई। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि सरपंच सीतोड ने दिनांक 29 सितम्बार, 2007 को राजकीय चिकित्सालय गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर में लड़की को जन्म देकर जननी सुरक्षा योजना के तहत 1700 रुपये नकद प्राप्त किये हैं।

नाम निर्देशन प्रपत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र प्रारूप 4 घ में दो संतान आरती पुत्री की जन्म तिथी 20 दिसम्बर, 2010 एवं दीपिका पुत्री की जन्म तिथी 17 अक्टूबर, 2012 अंकित की है। नाम निर्देशन प्रपत्र में सरपंच द्वारा प्रथम पुत्री आरती की गलत जन्म तिथी लिखने की शिकायत सही पायी गयी है। उक्त गलत सूचना देने के लिये सरपंच के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(2) उक्त सरपंच द्वारा नाम निर्देशन प्रपत्र में दर्शाये गई संतानों के नाम तथा संलग्न किये गये परिवार राशन कार्ड आवेदन एवं क्रमांक 31 दिनांक 5 मई, 2010 में दर्शाई गई पुत्रियों के नाम में भिन्नता है।

राशन कार्ड में एक पुत्री आरती का नाम अंकित है तथा नाम निर्देशन प्रपत्र में दो पुत्री आरती व दीपिका का नाम अंकित है।

(पंचायती राज मंत्री)

(3) उक्त सरपंच के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर सम्भागीय आयुक्त भरतपुर को जांच हेतु भेजा गया। प्रकरण सम्भागीय आयुक्त भरतपुर के यहां प्रक्रियाधीन है।

सम्भागीय आयुक्त भरतपुर से जांच प्रतिवेदन मय कार्यवाही प्रस्ताव प्राप्त होने पर राजस्थान पंचायती राज नियम/अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।

बांदीकुई पंचायत समिति में विकास कार्यों हेतु आबंटित राशि में अनियमितता

19. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पंचायत समितियों को टी.एफ.सी./एस.एफ.सी. के अन्तर्गत विकास हेतु बजट आबंटित किया जाता है? यदि हां, तो इसके क्या नियम एवं मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत पांच वर्षों में बांदीकुई पंचायत समिति द्वारा इस राशि का वितरण कहां-कहां कितना-कितना किया गया? क्या उक्त वितरण नियमानुसार था? क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कब व क्या? क्या इसकी जांच करवाई गई? यदि हां, तो कब व इसमें कौन-कौन दोषी पाया गया? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। केन्द्रीय वित्त आयोग (टीएफसी) एवं राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) के अन्तर्गत पंचायत समितियों को विकास हेतु बजट आबंटित किया जाता है। 13वां वित्त आयोग एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग में प्राप्त अनुदान राशि का 3 प्रतिशत जिला परिषदों, 12 प्रतिशत पंचायत समितियों एवं 85 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को दिया जाता है। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं तेरहवां वित्त आयोग के दिशा निर्देश क्रमशः परिशिष्ट-अ एवं परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) विगत पांच वर्षों में टीएफसी/एसएफसी के अन्तर्गत वितरित की गई राशि का ग्राम पंचायतवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

जी हां, उक्त विवरण नियमानुसार था राशि वितरण के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुइ हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मारवाड़ में विधायक कोष से आबंटित राशि

20. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की पंचायत समिति रानी एवं देसूरी की पंचायतों में वर्ष 2009 से 2013 तक विधायक कोष से कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत हुए, कितने कार्य पूर्ण हुए कितने कार्य अधूरे हैं? अधूरे कार्यों को कब तक पूर्ण करा जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यो के लम्बे समय से अपूर्ण रहने के लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त स्वीकृत सभी कार्यों हेतु कितनी राशि स्वीकृत हुई व कितनी राशि व्यय हुई तथा कितनी राशि शेष है? कितने कार्यों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी हुआ और कितने कार्यों का बकाया है? शेष कार्यों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कब तक जारी कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की रानी व देसूरी पंचायतों में वर्ष 2009-10 से दिसम्बर 2013 तक विधायक कोष से कुल 117 कार्य स्वीकृत किये गये जिनमें से 9 कार्य निरस्त किये गये, शेष 103 कार्य पूर्ण तथा 5 कार्य अपूर्ण/प्रगतिरत हैं। विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है ।

(2) अपूर्ण/प्रगतिरत 5 कार्यों में से 1 कार्य निरस्ती की कार्यवाही में है। शेष 4 प्रगतिरत कार्य आगामी 1 से 3 माह की अवधि में पूर्ण करवा दिये जायेंगे। कार्यों में विलम्ब के लिए जिम्मेदार कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

(3) उक्त स्वीकृत सभी कार्यों पर कुल रुपये 225.49 लाख राशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें से रुपये 204.49 लाख राशि व्यय की गई एवं रुपये 21.00 लाख की राशि शेष है। विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ पर अवलोकनीय है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

माननीय न्यायालय के आदेश से कार्मिकों के निस्तारित प्रकरण

21. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

(1) विगत 5 वर्षों में प्रदेश में कार्मिकों के स्थाई पदस्थापन एवं वेतन परिलाभ सम्बन्धित विसंगतियों के ऐसे कितने प्रकरणों पर माननीय न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश प्रदान किये गये हैं, जिन पर विभाग द्वारा नो अपील की जा चुकी है? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकरणों में कितने कार्मिकों के प्रकरणों का निस्तारण माननीय न्यायालय के आदेश के अनुरूप किया जा चुका है एवं कितनों का निस्तारण किन कारणों से लम्बित है? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत 5 वर्षों में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कार्मिकों के स्थाई पदस्थापन एवं वेतन परिलाभ सम्बन्धित विसंगतियों के किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया है।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) उपरोक्तानुसार कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

खानपुर में टंकियों से पेयजल की आपूर्ति

22. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले के खानपुर कस्बे व रास्ते में पड़ने वाले 11 गांवों को भीमसागर बांध द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त गांवों में टंकियां बनी हुई हैं और टंकियों द्वारा पानी उपलब्ध नहीं करवाकर पानी सीधा ही उपलब्ध करवाया जाता है?

(3) क्या सरकार टंकियों के द्वारा पानी उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सतही जल स्रोत भीमसागर बांध से झालावाड़ जिले के खानपुर कस्बे एवं पंचायत समिति, खानपुर के रास्ते में आने वाले 11 गांवों में वर्तमान में की जा रही पेयजल आपूर्ति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(2) उक्त परियोजना में सम्मिलित 11 ग्रामों में से 9 ग्रामों हेतु 7 उच्च जलाशय एवं एक ग्राम बन्नया हेतु एक भू-तल जलाशय निर्मित हैं। ग्राम चांदखेड़ी में खानपुर कस्बे में निर्मित उच्च जलाशय से पेयजल आपूर्ति हो रही है।

परियोजना के समस्त ग्रामों में जलाशयों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। निर्मित जलाशयों की स्थिति एवं लाभान्वित ग्रामों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। उपरोक्तानुसार।

परिशिष्ट-अ

भीमसागर बांध से लाभान्वित मार्गस्थ ग्रामों में वर्तमान पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का विवरण

क्रम सं.	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	जनसंख्या 2011	वर्तमान जनसंख्या	योजना का प्रकार	जल सेवा स्तर (लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन)	पेयजल वितरण अन्तराल	हैण्डपम्प का विवरण			क्रियाशील सिंगलफेस नलकूप
									चालू	सूखे	परित्यक्त	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	खानपुर	खेड़ा	लडानिया	801	873	क्षेत्रीय	57	एक से डेढ़ घण्टे प्रतिदिन	7	0	0	2
2	खानपुर	बाघेर	बन्निया	1320	1439	क्षेत्रीय	75		5	0	0	9
3	खानपुर	बाघेर	बाघेर	1739	1896	क्षेत्रीय	76		22	0	0	10
4	खानपुर	बाघेर	भैरूपुरा	1117	1218	क्षेत्रीय	55		4	0	0	2
5	खानपुर	कंवलदा	कंवलदा	1103	1202	क्षेत्रीय	62		3	0	0	7
6	खानपुर	मोड़ी	मोड़ी	913	995	क्षेत्रीय	60		5	0	0	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	खानपुर	मोड़ी	छत्रपुरा	441	481	क्षेत्रीय	62	एक से डेढ़ घण्टे प्रतिदिन	4	0	0	2
8	खानपुर	मूण्डला	नागोनिया	488	532	क्षेत्रीय	64		5	0	0	3
9	खानपुर	मूण्डला	अचरावन	267	291	क्षेत्रीय	60		1	0	0	1
10	खानपुर	खानपुर	चांदखेडी	3769	4108	क्षेत्रीय	55		20	0	0	—
11	खानपुर	गोलाना	लुकट	315	343	क्षेत्रीय	63		4	0	0	1

परिशिष्ट-ब

पेयजल परियोजना, खानपुर एवं मार्गस्थ ग्राम के तहत निर्मित पेयजल टंकियों का विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	भू-तल/उच्च जलाशय का स्थान व प्रकार		जल भण्डारण क्षमता (किलो लीटर में)	लाभन्वित ग्रामों की संख्या	लाभान्वित ग्राम का नाम	विशेष विवरण
		प्रकार	ग्राम का नाम				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पेयजल परियोजना खानपुर एवं मार्गस्थ 11 ग्राम	भूतल जलाशय	बन्नया	145	1	बन्नया	
2		उच्च जलाशय	भैरूपुरा	40	1	भैरूपुरा	
3		उच्च जलाशय	मोरी	60	1	मोरी	
4		उच्च जलाशय	लडानिया	50	1	लडानिया	
5		उच्च जलाशय	नागोनिया	75	3	नागोनिया, अचरावन एवं	
6		उच्च जलाशय	छत्रपुरा	30	1	छत्रपुरा	

1	2	3	4	5	6	7	8
7	पेयजल परियोजना खानपुर एवं मार्गस्थ 11 ग्राम	उच्च जलाशय	बाघेर	145	1	बाघेर	पूर्व में ग्राम में सीधे बूस्टिंग द्वारा पेयजल आपूर्ति की जा रही थी। दिनांक 11.09.2015 से उच्च जलाशय से पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है।
8		उच्च जलाशय	कंवलदा	75	1	कंवलदा	
9		उच्च जलाशय	खानपुर कस्बा	180	1	चांदखेड़ी	
				योग	**11**		

कानूजा (रायपुर) ग्राम पंचायत में पेयजल लाइन डालने में अनियमितता

23. **श्रीमती रानी सिलौटिया** (बसेड़ी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले के सोजत एवं रायपुर उपखण्ड में पेयजल लाइन बदलने की वर्ष 2012-13 में किस-किस ग्राम पंचायत में स्वीकृति जारी की गई? तथा उक्त के लिये कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2013 में रायपुर उपखण्ड की ग्राम पंचायत कानूजा में पाइप लाइन बदलने के आदेश जारी किये गये थे? यदि हां, तो आदेशों की प्रति, कार्यादेश की प्रति, पाइप लाइन किस कम्पनी से खरीदे गए व बिलों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त कार्यो के सम्बन्ध में सरकार को कई शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच व भौतिक सत्यापन करवा कर दोषी पाये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या ग्राम पंचायत कानूजा में पेयजल सप्लाई करने वाले पम्प चालक के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कब व उस पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के खण्ड सोजत के उपखण्ड सोजत एवं रायपुर में वित्तीय वर्ष 2012-13 में पाइप लाइन बदलने की स्वीकृति किसी भी ग्राम पंचायत हेतु जारी नहीं की गई थी।

(2) जी हां। खण्ड सोजत के उपखण्ड रायपुर के अधीन ग्राम कानूजा में पुरानी एवं दोषपूर्ण पाइप लाइनों को डी. आई. पाइप लाइन द्वारा बदलने हेतु अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, क्षेत्र जोधपुर द्वारा दिनांक 03.09.2013 को राशि रुपये 21.88 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। योजना स्वीकृति की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

ग्राम कानूजा में स्वीकृत पाइप लाइनों के कार्य हेतु मैसर्स सारांश इलैक्ट्रिकल्स, जोधपुर को दिनांक 21.01.2014 को राशि रुपये 18.75 लाख का कार्यादेश जारी किया गया। कार्यादेश की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। उक्त फर्म द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं करने के कारण विभाग द्वारा पुनः निविदा आमंत्रित की गई।

ग्राम कानूजा में पाइप लाइन बिछाने एवं जोड़ने के कार्य हेतु मैसर्स चामुण्डा कंस्ट्रक्शन, बगड़ी नगर (जिला पाली) को दिनांक 21.11.2014 को राशि रुपये 21.09 लाख का कार्यादेश जारी किया गया। कार्यादेश की प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है। योजना में प्रयुक्त विभिन्न साइज के डी.आई. पाइप संवेदक द्वारा मैसर्स इलैक्ट्रोथर्म (इंडिया) लिमिटेड से क्रय किये गये हैं तथा कम्पनी द्वारा संवेदक को प्रस्तुत बिल की प्रति परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(3) जी हां। योजना की स्वीकृति अनुसार ही ग्राम कानूजा में पाइप लाइन बिछाने एवं जोड़ने का कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

सरपंच, ग्राम पंचायत कानूजा, पंचायत समिति, रायपुर द्वारा योजना के कार्य कार्यादेश के नियम एवं शर्तों के अनुसार नहीं किये जाने, योजना के पम्प चालक द्वारा अभद्र व्यवहार करने इत्यादि बाबत प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को दिनांक 20.07.2015 पत्र लिखा गया था। ग्राम कानूजा की जल योजना पर कार्यरत श्री जवान सिंह, बेलदार का स्थानान्तरण जल योजना, मेगड़दा पर किया जाकर इसके स्थान पर श्री हीरालाल, चौकीदार को ग्राम कानूजा की योजना पर पदस्थापित कर दिया गया है।

(4) जी नहीं। योजना की स्वीकृति अनुसार ही ग्राम कानूजा में पाइप लाइन बिछाने एवं जोड़ने का कार्य पूर्ण कर दिया गया है तथा ग्राम कानूजा की जल योजना पर कार्यरत श्री जवान सिंह, बेलदार के स्थान पर श्री हीरालाल, चौकीदार को पदस्थापित कर दिया गया है।

(5) जी हां। उपरोक्तानुसार। ग्राम कानूजा की जल योजना पर कार्यरत श्री जवान सिंह, बेलदार का स्थानान्तरण जल योजना, मेगड़दा पर कर दिया गया है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

पोकरण-सिवाना वृहत् पेयजल योजना से पेयजल की आपूर्ति

24. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हमीरसिंह भायल)

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले की वृहद पेयजल योजना पोकरण-फलसुण्डा-बालोतरा-सिवाना का कार्य धीमी गति से चल रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(2) उक्त योजना के कार्य को सम्पादन करने हेतु जिस कम्पनी को कार्यादेश दिया गया था, उसकी समय अवधि पूर्ण हो गई है? यदि हां, तो फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजनान्तर्गत अब कब तक पेयजल उपलब्ध करवा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिवाना परियोजना की स्वीकृति में बाड़मेर जिले के 2 कस्बे क्रमश: बालोतरा व सिवाना एवं 386 ग्राम तथा जैसलमेर जिले के 177 ग्राम व पोकरण कस्बा सम्मिलित है।

इस परियोजना के कुल 7 पैकजों में से पैकेज-1 का कार्य पूर्ण हो चुका है। अनुबंधित फर्म मैसर्स एस.पी.एम.एल. इन्फ्रा. लिमिटेड द्वारा पैकेज-2अ एवं पैकेज-2ब के कार्य अत्यन्त धीमी गति से करने के कारण परियोजना के कार्यों के सम्पादन में विलम्ब हुआ है। मैसर्स आई.वी.आर.सी.एल., हैदराबाद द्वारा पैकेज-3ब का कार्य नहीं किये जाने के कारण विभाग द्वारा 30.06.2015 को उक्त कार्य रिसाइण्ड किया जाकर दिनांक 8.9.2015 को दोषी अनुबंधक की रिस्क एण्ड कोस्ट पर आमंत्रित की गई नई निविदा दिनांक 19.10.2015 को प्राप्त की जानी है। पैकज-3अ, 4अ एवं 4ब का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। पैकेजवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त पेयजल परियोजना के कुल 7 पैकेजों के कार्यों को पूर्ण करने हेतु विभिन्न समय पर पृथक-पृथक कार्यादेश जारी किये गये। इनमें से पैकेज-1 का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष 6 पैकेजों में उपरोक्तानुसार 3 पैकेजों का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। शेष तीन पैकेजों में से एक पैकेज का कार्य रिसाइण्ड कर दिया गया है एवं दो पैकेजों के कार्यों को रिसाइण्ड करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं करने के कारण अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार क्रियान्वयन में विलम्ब के लिये अनुबन्ध फर्मों से अब तक कुल रु. 29.43 करोड़ की अंतिम/अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि रोकी गई है। विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(3) उक्त परियोजना के अन्तर्गत पोकरण शहर को आंशिक रूप से लाभान्वित किया जा चुका है। दिये गये कार्यादेशों एवं आमंत्रित निविदा के अनुसार उक्त परियोजना के विभिन्न चरणों की कार्य पूर्णता अवधि संलग्न परिशिष्ट-अ के अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में डार्क जोन घोषित करने के नियम/मानदण्ड

25. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में डार्क जोन घोषित करने हेतु क्या-क्या नियम एवं मानदण्ड निर्धारित हैं? गत पांच वर्षों में कब-कब किस-किस स्तर की बैठकें किस की अध्यक्षता में आयोजित की गईं एवं किस-किस क्षेत्र को डार्क जोन से निकाला गया एवं किस-किस क्षेत्र को नया डार्क जोन घोषित किया गया?

(2) गत पांच वर्षों में प्रदेश में किस-किस जिले में भू-जल का स्तर क्या रहा? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें?

(3) वर्तमान में किस-किस जिले में कितने फीट पर पानी उपलब्ध होने पर किसान अपने खेत में नवीन कूप का निर्माण करवा सकता है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि प्रदेश में गत काफी समय से वर्षा के औसत में गिरावट आई है एवं भू-जल स्तर भी नीचे आने के कारण डार्क जोन क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि हो रही है जिससे काश्तकारों के समक्ष एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है एवं सरकार द्वारा कृषि कार्यों हेतु दिये जा रहे अनुदान एवं सहायता से वंचित होना पड़ रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा किसानों की उक्त समस्या के निराकरण हेतु क्या कार्य योजना बनाई जा रही है? प्रस्तावित कार्य योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में किसी भी क्षेत्र के श्रेणी निर्धारण का कार्य केन्द्र सरकार द्वारा गठित भूजल आंकलन समिति 1997 के निर्देशानुसार किया जाता है। भूजल विकास की दर को पूर्व में व्हाइट, ग्रे व डार्क जोन के रूप में वर्गीकृत किया जाता था जिसके तहत 85-100 प्रतिशत भूजल विकास स्तर वाले क्षेत्र को डार्क जोन कहा जाता था।

(भू-जल मंत्री)

वर्तमान में गाइड लाइन के आधार पर भूजल विकास स्तर के प्रतिशत को दर्शाने के लिए निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है :-

1. सुरक्षित (safe) जहां भूजल विकास स्तर 70 प्रतिशत से कम हो।

2. अर्धसंवेदनशील (semi critical) जहां भूजल विकास स्तर 70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत हो।

3. संवेदनशील (critical) जहां भूजल विकास स्तर 90 प्रतिशत से 100 प्रतिशत हो।

4. अतिदोहित (over expolited) जहां भूजल विकास स्तर 100 प्रतिशत से अधिक हो अर्थात् भूजल का दोहन भूजल रिचार्ज से अधिक हो रहा हो ।

वर्तमान में भूजल दोहन एवं भूजल विकास पर नियन्त्रण हेतु केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर इन श्रेणियों का विभिन्न बिन्दुओं पर अध्ययन कर लम्बे समय तक अपेक्षित सुधार नहीं पाये जाने पर उन क्षेत्रों को अधिसूचित घोषित किया जाता है ।

अधिसूचित घोषित क्षेत्रों हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 5(1) पी.एच.ई./2010-पार्ट-प्रथम दिनांक 14.07.2011 के द्वारा सम्बन्धित जिला कलक्टर को उस जिले में नये नलकूप/बोरवेल/भूजल दोहन की यूनिट खोदने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार के पत्रांक ए.12(2)भूजल/2011पार्ट दिनांक 30.05.2013 द्वारा सभी जिला कलक्टर्स को ग्राउण्ड वाटर अथोरिटी द्वारा जारी गाइडलाइन (15.11.2012 से प्रभावित) भेजी गई है। इसके अनुसार नोटिफाइड एरिया में एवं नान-नोटिफाइड एरिया में पेयजल कार्य हेतु नए नलकूप खोदने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । तथापि किसी भी प्रकार के भूजल दोहन की यूनिट (कृषि सहित) के निर्माण हेतु सक्षम अधिकारी जिला कलक्टर से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है।

नोटिफाइड (अधिसूचित) क्षेत्रों में पेयजल के अतिरिक्तम अन्य कुओं एवं बोरवेल (ट्यूबवेल) खोदने पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। राज्य में वर्तमान में 35 क्षेत्र अधिसूचित घोषित हैं। इस हेतु राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 05.04.2013 को प्रमुख शासन सचिव, जन स्वार. अभि. एवं भूजल विभाग, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आहुत की गई तत्पश्चात उच्च स्तरीय बैठकों का आयोजन केन्द्र के स्तर पर किया गया । राज्य स्तर पर वर्ष 2009 एवं वर्ष 2011 में भूजल आंकलन रिपोर्ट प्रकाशित की गई है । भूजल

(भू-जल मंत्री)

आंकलन रिपोर्ट वर्ष 2009 की तुलना में 2011 में जिन अतिदोहित एवं संवेदनशील क्षेत्रों में परिवर्तन पाया गया है उसकी सूची संलग्न है। (Annex.-I)

(2) वर्ष 2011 से 2015 तक के जिलेवार औसत भूजल स्तर के आंकड़ों की सूची संलग्न है। (Annex.-II)

(3) नवीन कूप का निर्माण केवल भूजल स्तर के आधार पर नहीं किया जाता है अपितु इस हेतु उस क्षेत्र की भू संरचना, भूजल गुणवत्ता, भूजल उपलब्धता, उपयोगिता इत्यादि अन्य कई बातों के आधार पर निर्धारण किया जाता है। तथापि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 528/2004 में दिनांक 20.01.2006 एवं डी.बी. सिविल रिट पीटिशन (पी.आई.एल.) संख्या 4754/10 के निर्णय दिनांक 28.03.2011 में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि किसी भी स्थान पर नए नलकूप/बोरवेल/भूजल दोहन के अन्य यूनिट का निर्माण सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं कराया जाएगा। इसकी पालना में राज्य सरकार ने सम्बन्धित जिला कलक्टर को उस जिले के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में अधिकृत किया है।

(4) जल संसाधन विभाग से प्राप्त वर्षा जल आंकड़ों के अनुसार (Annex. IV)। पिछले वर्षों में औसत वर्षा जल में गिरावट नहीं पाई गई किन्तु लगातार भूजल दोहन में बढ़ोतरी होने के कारण भूजल स्तर नीचे जा रहा है तथा डार्क जोन क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि हो रही है। सरकार लगातार भूजल दोहन में कमी लाने हेतु प्रयासरत है। इस हेतु जन जागरण एवं भूजल मितव्ययता हेतु लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है तथा भूजल स्तर में बढ़ोतरी हेतु कृत्रिम भूजल पुर्नभरण करने हेतु संरचनाओं का निर्माण इत्यादि किये जा रहे हैं। (Annex. III)

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला कलक्टर के अधीन पदस्थापित निजी सहायक के पद का क्रमोन्नयन

26. श्री दर्शन सिंह (करौली) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के जिलों में जिला कलक्टर के अधीन पदस्थापित निजी सहायक से वरिष्ठ निजी सहायक के पद

(श्री दर्शन सिंह)

पर क्रमोन्नत किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये थे? यदि हां, तो कब? क्रमोन्नत किये जाने के आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में जिला कलक्टर के अधीन पदस्थापित निजी सहायकों को वरिष्ठ निजी सहायक के पद पर पदोन्नत/क्रमोन्नत करने के आदेश राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा जारी किये गये हैं? यदि हां, तो कब? पदोन्नत निजी सहायकों के नाम व आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में प्रदेश के जिलों में जिला कलक्टर के अधीन पदस्थापित निजी सहायकों को वरिष्ठ निजी सहायक के पद पर पदोन्नति नहीं दी गई है? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राजस्व (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर की आज्ञा संख्या प.7(7) राज./2/2011 दिनांक 18.04.2013 द्वारा जिला कलक्टर कार्यालयों में स्वीकृत निजी सहायक के पदों को वरिष्ठ निजी सहायक के पद में क्रमोन्नत किया गया था। आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राजस्व (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर की आज्ञा संख्या प.7(7)राज./2/2011 दिनांक 18.04.2013 की अनुपालना में राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के पत्र संख्या राम/प-1/1/119/वि/स्था./09/10420 दिनांक 18.11.2013 से समस्त 33 जिला कलक्टर कार्यालयों में स्वीकृत निजी सहायक के पदों को वरिष्ठ निजी सहायक के पद में क्रमोन्नत किया गया है।

पदों को क्रमोन्नत किये जाने के उपरान्त किसी भी निजी सहायक को वरिष्ठ निजी सहायक पद पर पदोन्नति नहीं दी गई है।

(3) जी हां। निजी सहायकों के पदों को वरिष्ठ निजी सहायक के पद पर क्रमोन्नत तो कर दिया गया है, लेकिन जिला कलक्टर कार्यालयों के वरिष्ठ निजी सहायकों की नियुक्ति प्राधिकारी कौन होगा, बाबत नियमों में संशोधन का प्रकरण राज्य स्तर पर जैरकार है। संशोधन उपरान्त ही पदोन्नत किया जाना सम्भव है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

जमवारामगढ़ में रिक्त पदों को भरने की कार्य योजना

27. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में किस-किस प्रकृति के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा इनमें कौन-कौन से पद कब से रिक्त चल रहे हैं? पद नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अधिकारियों/कर्मचारियों की कमी से विकास के कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के उक्त कार्यालयों में सुचारु रूप से कार्य हेतु उक्त खाली पड़े पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में स्थित उपखण्ड कार्यालय के अधीन उपखण्ड कार्यालय, जमवारामगढ़ एवं सहायक कलक्टर व तहसील कार्यालय में वर्तमान में संवर्गवार स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट-ए पर संलग्न है।

(2) संलग्न सूची में अंकित रिक्त पदों में से पटवारियों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु सीधी भर्ती का आयोजन किये जाने की कार्यवाही जैरकार है। भू-अभिलेख निरीक्षकों के रिक्त पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने हेतु सम्भागीय आयुक्त, जयपुर को निर्देशित किया जा चुका है तथा शेष रिक्त पदों को भरे जाने हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को निर्देशित किया गया है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

पाली जिले में कौशल एवं आजीविका विकास हेतु स्वयंसेवी संगठनों को आबंटित राशि

28. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र की तर्ज पर प्रदेश सरकार भी 'कौशल एवं आजीविका विकास' को प्रोत्साहन देने के लिए कार्य कर रही है? यदि हां, तो पाली जिले में अब तक किए गए कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मदन राठौड़)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य के लिए स्वयंसेवी संगठनों को भी राशि आबंटित की जा सकती है? यदि हां, तो पाली जिले में अब तक किन-किन स्वयंसेवी संगठनों को कब-कब व कितनी राशि आबंटित की गयी व कितने लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश सरकार द्वारा भी 'कौशल एवं आजीविका विकास' को प्रोत्साहन देने के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा वर्तमान में सम्पूर्ण प्रदेश में निम्नलिखित लघु अवधि के कौशल विकास कार्यक्रम की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। जिसमें पाली जिला भी सम्मिलित है।

1. रोजगार परख कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ईएलएसटीपी)- इस योजना के अन्तर्गत सभी वर्ग के बेरोजगार युवा जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष है तथा जिनकी शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 5वीं पास या उससे अधिक है वह प्रशिक्षण के पात्र हैं।

2. पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना-यह योजना ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित है। इसमें केन्द्र सरकार का 75 प्रतिशत और राज्य सरकार का 25 प्रतिशत भाग है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल, नरेगा में गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष 35 दिवस तक काम करने वाले परिवारों के सदस्य तथा ऐसे ग्रामीण गरीब युवक जिनका विशेष ग्रामसभाओं (पी.आई.पी) के तहत चयन किया गया हो प्रशिक्षण के लिये पात्र हैं।

3. नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम-इस योजना के तहत 16 से 45 वर्ष के सभी वर्ग के बेरोजगार युवा, महिलायें, विशेष योग्यजन एवं जेलबन्द (Jail Inmates) कौशल प्रशिक्षण करने हेतु पात्र हैं।

4. एस.डी.आई. योजना-योजनान्तर्गत सरकारी आईटीआई एवं निजी संस्थाओं के माध्यम से लघु अवधि के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

पाली जिले में कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से लाभान्वितों की सूचना का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) निगम की कौशल विकास योजनाओं का क्रियान्वयन निजी प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं/कम्पनियों/एनजीओ द्वारा किया जाता है। इन

(श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री)

संस्थाओं का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के तहत् अभिरूचि प्रस्ताव आमंत्रित कर निर्धारित प्रक्रियानुसार चयन किया जाता है। पाली जिले में संचालित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये निगम द्वारा चयनित प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं/एनजीओएस को आबंटित राशि की सूचना परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है। पाली जिले में योजनान्तर्गत लाभान्वित आशार्थियों/लाभार्थियों की सूचना परिशिष्ट 'अ' के अनुसार ही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-1 का विवरण)

परिशिष्ट-अ

राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 व राजस्थान गौशाला नियम 1964 के अन्तर्गत राजस्थान की सम्भागवार व जिलावार गौशालाओं की संख्या 31 अगस्त, 2015 तक निम्न प्रकार है

क्र. सं.	सम्भाग	जिला	जिलेवार पंजीकृत गौशालाएं
1	**2**	**3**	**4**
1	अजमेर	अजमेर	29
2		टोंक	19
3		भीलवाड़ा	34
4		कुचामनसिटी	71
5		नागौर	156
		कुल	**309**
6	भरतपुर	भरतपुर	10
7		धौलपुर	7
8		करौली	6
9		सवाईमाधोपुर	18
		कुल	**41**
10	बीकानेर	बीकानेर	58
11		चूरू	84
12		हनुमानगढ़	91
13		श्रीगंगानगर	57
		कुल	**290**

1	2	3	4
14	जयपुर	जयपुर	79
15		दौसा	9
16		अलवर	23
17		सीकर	149
18		झुन्झुनूं	38
		कुल	**298**
19	जोधपुर	जोधपुर	160
20		जैसलमेर	84
21		बाड़मेर	35
22		जालौर	79
23		पाली	112
24		सिरोही	26
		कुल	**496**
25	कोटा	कोटा	14
26		बून्दी	7
27		बारां	9
28		झालावाड़	15
		कुल	**45**
29	उदयपुर	उदयपुर	13
30		बांसवाड़ा	3
31		चित्तौड़गढ़	20
32		डूंगरपुर	5
33		प्रतापगढ़	5
34		राजसमन्द	10
		कुल	**56**
		महायोग	**1535**

परिशिष्ट-ब

गत पांच वर्षों में गौशालाओं/पशु शिविरों को दिया गया अनुदान/सहायता राशि

(लाखों में)

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	महायोग
अनुदान/ सहायता राशि	16120.9	1170.49	76.34	10593.00	14673.08	42633.81